Fourteenth Loksabha

Session : 4
Date : 24-03-2005
Participants : Mollah Shri Hannan,Rana Shri Gurjeet Singh,Rawat Shri Bachi Singh,Kumar Shri Shailendra,Chinta Mohan Dr. ,Swain Shri M.A. Kharabela,Singh Shri Mohan,Meghwal Shri Kailash,Mahtab Shri Bhartruhari,Yadav Shri Ram Kripal,Bhadana Shri Avtar Singh,Purandareswari Smt. Daggubati

Title: Further discussion on the resolution regrading relief measures for workers in Agrarian Sector, moved by Shri P.K. Vasudevan Nair on 16.7.2004. (Discussion not concluded).

14.32 hrs.

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Item No. 22.

DR. CHINTA MOHAN (TIRUPATI): Sir, there are 12 crore farmers in India and most of them are in problems today. Yesterday, one of the Left leaders said "To protect Secularism, we need to think of caste" and it has become more important in this country. So, a very strange statement has come.

Keeping that thing in mind, I would like to say a little about the farmers. Today, there are 12 crore farmers in India. Out of that, 70 per cent of them are belonging to the Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes. About eight crore farmers, who are belonging to the poorer sections, particularly, Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, are living in India. The Government is giving a subsidy package of Rs. 16000 crore on fertilizers. This subsidy on fertilizers are given through fertilizer factories, but 70 percent of the farmers i.e. 8 crore farmers not getting it. I feel sad about it. Seventy per cent of the farmers are doing dry land and tenancy cultivation, and they are not able to take even hundred grams of urea, NPK and anything. Whatever subsidy we are giving to the farmers, this Rs. 16000 crore subsidy is not reaching them. I think the time has come for us to evolve some kind of a formula by which the subsidy, which we want to give to the farmers, should reach to the poorest of the poor among the farmers.

The next issue is in regard to seeds. The variety of seeds, which we are getting today, is not able to give good yield. The farmer community in India is able to produce only two-and-a-half metric tonnes of paddy in an acre of land. Other countries like China, they are able to produce seven-and-a-half tonnes of paddy. Here, the basic problem is good variety of seeds. We have so many Agricultural Research Institutes. They are doing so much research, but they are not able to give good quality of seeds to farmers in time, and they are not able to get good agricultural produce. I think we may have to evolve a policy on seeds. The time is more important and the variety of good seeds is also a more important thing.

Coming to the breed, this also helps the farmers. We have to give them good animals, which are going to help them, namely, buffaloes, cows, goats, pigs, etc. They are very important for them, and they will supplement the income of the farmers. We have to give them good animals in time. We can produce a good variety of animals through Artificial Insemination Programme (AIP).

This should be brought in using our latest technologies and we should see that the farmer gets a variety of animals so that he is able to supplement his income. If a farmer is getting Rs. 5,000 from his agricultural field, he can get another Rs. 5,000 by this way. In this method, the small and marginal farmers can earn more income.

Coming to the tractors, I would like to submit that the tractors available in the country today are very less. In a country of six lakh villages, in each village there are only one or two tractors. If we can give some subsidy for manufacturing of tractors, it will help the farmers. Today, a tractor costs about Rs. Three lakh and so, only rich

farmers are having them. If we give subsidy to tractors, then a tractor will come for about Rs. One lakh. In every village, with the help of the banks and governmental support, if we can make the tractor available for Rs. One lakh, it will help the farmers. Then, if we can give one tractor to a farmer belonging to the Scheduled Caste and a farmer belong to a Backward Class in a village, this will increase the prestige of that particular caste in that village. This is very important. While formulating the policies, the Government should see that the tractors go to these sections of the people, particularly the Backward Classes, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes because none of them are having tractors today. If we want to improve the rural economy, these are the sections which we have to keep in mind.

These days, whatever subsidy is given, it is only going to rich farmers. There are many types of farmers in the country today. There is a group called 'Sunday farmers'. They live in cities, they sit in air-conditioned rooms and earn lot of money. On a Sunday, they go to their farm houses that are situated just out side the city. Whatever money they earn, they show that they earn that money through agriculture and get a lot of income tax benefit. This is the thing which we have to immediately stop in this country.

Sir, I want to define who is a farmer. A farmer is not a person who is sitting in an air-conditioned room in a city like Bangalore or in a city like Delhi, sitting in his farm house and claiming income tax benefit. Whatever tax benefit is given to the farmers, it goes to these people only. This is not correct. We have to have a definite and concrete plan to stop this. The Government is giving Rs. 30,000 crore in the form of various subsidies to the farmers. We must see that this amount goes to the real farmers who are tilling the land and who are involved in farming, not to the so-called farmers sitting in air-conditioned rooms. We have to change this policy.

The farmers are facing lot of problems in getting veterinary medicines. There is price control for the drugs which we take, but for veterinary medicines there is no price control. Then, veterinary medicines are costlier than our medicines. So, we have to bring in some sort of price control for veterinary medicines.

Then, due to the high cost of pesticides, the farmers are suffering very much and particularly in Andhra Pradesh where cotton is cultivated in Guntur and Krishna districts and also in many other coastal districts, these pesticides are very costly, because the tax imposed on them is very high. The Government should reduce the tax on these pesticides and see that they are available to the farmers at a reasonable price.

I would like to say a few words about rural credit that is available to the farmers. Whatever credit the banks are giving, it is all going to the doorsteps of the corporate sector. The Government should ensure that the rural credit reaches the real farmers who actually want money through Gramin Banks and other rural banks. For the corporate sector, the Government is giving loan at eight to nine per cent rate of interest, but for the farmers, it is being given at 12 or 13 per cent rate of interest. The farmers in the villages should get loans at a reasonable rate of interest through the rural banks.

They must see that the policy is changed. They are, all the time, thinking about the corporate sector and not the farmers. If they can think of helping the farmers, it will go a long way and improve the rural economy of this country.

Sir, the tobacco farmers in Andhra Pradesh are facing lot of hardship. The Government has brought in a policy where in they have increased the excise duty on this. The farmers of Guntur in Andhra Pradesh are producing beautiful variety of Virginia Tobacco and about one-and-a half lakh families are involved in this. What they have done in their Budget is going to harm the farmers. They will have to reduce the excise duty a little bit on tobacco and see that the farmers should get some relief out of it.

Sir, earlier also I mentioned some points, in addition to that I have made these submissions and I conclude now.

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Thank you Mr. Deputy-Speaker Sir. I thank, Shri P.K. Vasudevan Nair for moving this Private Members' Resolution on the relief measures for workers and farmers in the agrarian sector.

The problem of agricultural workers and farmers is that overwhelming majority of our Indian population depends on the agriculture. but the farmers are facing many problems. As my colleague has just said that the farmers are facing different types of problems, like in regard to cultivation, in regard to seeds, in regard to marketing, in regard to price of the agricultural produce, in regard to natural calamities and also in regard to compensation. On all these aspects, our farmers are facing different types of troubles.

To strengthen our economy, we have to give utmost importance to strengthen this farm sector from various angles. What we have seen during the last few years and what we have observed is that farmers of our country, because of different types of problems, are committing suicide. It is a very alarming situation. Earlier, the old dictum was that the farmers were born in debt, live in debt and they die in debt. But now, we know that the situation has improved. They are getting institutinal finances for their cultivation. But still, the role of the private money lenders is not yet eliminated.

We know, during the last few years, that even the nationalised banks have failed to provide adequate amount of money to the farmers. It has been reduced to the lowest, I think, in the last few decades. But now, it is good that the UPA Government has decided to raise the bank finance to the agriculturists and it has been raised up to 30 per cent. It is increasing now.

Now, we have to concentrate on that. Sometimes the Government takes a policy decision, but at the implementation stage it is not completely implemented. So, we have to monitor this. The Government should monitor that all the nationalised banks and other banks and cooperatives lend to the farming community adequately.

That should be ensured. The farmers were forced to commit suicide because of shortage of finance and indebtedness.

After getting the loan, if they do not get adequate price for their produce, then the actual problem starts. We read in newspapers that most of the farmers recently committed suicide because of indebtedness. We have to see as to how we can bring the farmers out from this indebtedness. That is a serious question. The Government will have to give adequate importance to free the peasantry and farmers from this indebtedness. That is the area on which we have to give stress.

Next, I come to marketing. If they produce less, they are indebted, they cannot repay their loan and they are suffering. If they produce more, then also they are in trouble. The peasants are in difficulty. If they produce less, they are in trouble. If they produce more, then they will not get proper price for their produce. In Punjab, Haryana, Rajasthan and many other parts – I got a lot of letters, representations and telephone calls from the farmers – that the farmers are not getting adequate price. Take, for example, mustard oil. Somebody from Haryana telephoned me today morning and said that the farmers of Haryana are not getting proper price for mustard. Similar is the case with regard to other crops.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Similar problem exists in Punjab also.

SHRI HANNAN MOLLAH : I have already said that. In the northern India – Punjab, Haryana, Rajasthan and a part of U.P. – the farmers are not getting proper price for their produce. The Government should intervene in this matter. That is the main point. The price that they get is much below their cost of production. So, they should get the minimum price by which they can realise their cost of production. That should be ensured.

Secondly, the Government should intervene and purchase their produce. That is another area. I request the Government to intervene in the market so that the farmers, who are not getting proper price for their produce, can get proper price for their produce.

Another aspect is natural calamity. In the last three or four years, the farmers are suffering because of natural calamities. There was a massive hailstorm in Rajasthan. I had visited some of the places last week. I went there. They said that in 13 districts of Rajasthan, massive crops were damaged due to hailstorm. There was hailstorm in Punjab, Haryana and a part of Uttar Pradesh recently. The farmers' organisations and other organisations are

sending this information. In all these States, there was a massive hailstorm which destroyed their ready crops, mustard, wheat, rabi crops and also kharif crops. That is another area on which the Government should immediately look into so that the farmers can get adequate compensation. The rate of compensation is also not adequate. That is also much below their cost of production. The Government should give adequate compensation to them.

So, this should be ensured that Immediate and adequate compensation is given. I got information that yesterday and day before yesterday there were massive hailstorms in Nadia district and in some other parts of West Bengal and crops were damaged severely. Many houses destroyed and some people were killed. So, in this season it will go on. This is a summer season and there will be this type of hailstorms. This type of calamities will create problems for the crops. Some contingency plan should be there so that the farmers can be assisted when such damage occurs. This is one area of concern.

On the other side, along with the farmers and peasants, there is the problem of agricultural workers. You know they are one of the two pillars. If the agricultural workers do not work, then a large area of land will not be cultivated because all the farmers do not farm their lands on their own. The small, marginal and even the middle peasants, farmers work in their own land. The poor peasants work whole time in their land. But the middle class peasants participate in any part of the operation, even if they do not participate fully. They hire some agricultural workers. But the rich and the big farmers do not participate in the production process. They entirely depend on the agricultural workers. There are 15 crores of agricultural labourers in our country. They have a major role in increasing our production. But unfortunately we have not paid adequate attention to the problem of the agricultural workers in our country. As you know, Sir, we have no proper minimum wages. Wherever the minimum wages are there, they are not implemented properly. Although it is written in paper, on the ground the agricultural workers do not get that amount which the different State Governments have fixed. Different State Governments have different standards and different minimum wages. There is no uniform wage. The Government should ensure that those agricultural workers who, by their labour and toils, are helping our agriculture to grow, should not be deprived of their minimum wages.

We are demanding this for a long time. There is not only the wage problem of agricultural workers, but also there are several other problems. They do not get adequate wage. They do not get adequate work. Now, because of the mechanisation of agriculture, as you know, the agricultural labourers are losing their jobs very fast. They are not getting even 100 days of work in a whole year. We had made some survey in some parts of Haryana, Punjab and Rajasthan. We found that in some places the agricultural labourers are getting work only for 50-60 days in a whole year, in 365 days. How can these people who are the pillars of our agricultural growth survive? So, this is a very serious problem, and because of that we are demanding for long to ensure their proper wage and adequate number of days of work.

The UPA Government has decided to give at least 100 days of work. We welcome this move, but the Bill has only been introduced. There are a number of questions on the Bill. When that Bill is discussed, I hope they will be raised. Definitely, the Government will have to expedite the measures to pass the Bill. At the same time, there are a number of lacunae. It will be implemented only in 150 districts out of 600 districts. The rest of the districts will not be touched. Infrastructure is going to be created. Then, we will spend money on the implementing authority.

But, if we have another set of officials from top to bottom, a huge amount of money will be spent in the infrastructure. Actually, it will not reach the agricultural labourer. When a Bill comes we will discuss it and see that these are the lacunae. We request the Government to expedite the process, to bring it to the Parliament, to discuss it, to change the Bill wherever it is not according to the interests of the agricultural workers and pass it. That is one aspect of the Bill for the agricultural workers. We are demanding that there should be a comprehensive Central legislation for agricultural workers. I work amongst the agricultural workers' union, and I have been raising the demands of the agricultural workers. Even during her time, Mrs. Gandhi formed a Committee. A Commission was also set up for the rural workers. That Commission recommended that there should be a comprehensive legislation for the agricultural labourers. Their works, wages, retirement, medical benefits, their children's education and their houses, all these aspects were covered. A comprehensive agricultural workers' Bill should be brought. For the last 25 years, I have been here, and I have seen 10 Labour

Ministers. I have discussed this matter with them. Every Government promised that there should be an Agricultural Labourers Act. Nobody denied it, but nobody acted on it.

During the days of Mrs. Gandhi, the process was initiated, and everybody agrees that there should be a comprehensive Act for the agricultural labourers. You have an Act to protect the animals, you have an Act to protect plants, but you have no Act to protect 15 crore agricultural workers. What is this? In the last 55 years of the existence of Parliament, we have failed to give a legal protection to the poorest of the poor; not only economically but also socially. They are in the unorganised sector. Sixty per cent of them belong to SC, ST, OBC and minority communities. In all aspects, they are oppressed. In all walks of life, they are pressurised. They are poor and uneducated. They do not get food, jobs and education. They have no houses to live in. Even if you go to a village belonging to upper-caste people you see, they have tube-wells. But if you cross that village, and go to a poor agricultural workers village, you will see there is no tube-well. Roads are there in the village where the upper-caste people live. But the roads end where the village of poor agricultural labourers starts. Even the light posts are not there.

I have visited all over the country where agricultural workers live. All the benefits end at the gate where the village of agricultural labourers starts. This is most unfortunate thing. We are demanding that a comprehensive Bill should be there. If we can protect animals, trees, why can we not protect 15 crore unfortunate agricultural labourers who are the pillars of our agriculture; who toil and help us to grow food and other agricultural produces? My demand is that a Central Act for the agricultural labourers must be brought in this Parliament. A massive work has been done by the National Labour Commission and by a Committee headed by Gurudas Dasgupta. There are so many other Committees. They have recommended that such an Act is necessary. I will request the Government that it should not wait. Even in the National Common Minimum Programme this has been assured that its Government would bring in an Act for the agricultural labourers.

I demand that such a comprehensive Bill for the protection of the agricultural labourers should be brought and passed in this year itself so that we may protect and help the agricultural labourers. If farmers and peasants are strengthened, our agriculture can flourish. I request the Government that the difficulties of the farmers should be looked into.

15.00 hrs.

At the same time, we have to look into the problems of our agricultural workers. For providing better treatment to that section, we should bring in a comprehensive Central agricultural labour law.

The UPA Government has mentioned all these things in the Common Minimum Programme. Now, it is a question of implementation. I would request the Government that it should implement these programmes so that our rural economy and agrarian economy get strengthened. If our rural economy and agrarian economy get strengthened, our country would also get strengthened.

With these words, I thank you for giving me this opportunity.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the time allotted for this Resolution is over but I have a long list of hon. Members to speak on this very Resolution. If this House agrees, the time for discussion on this Resolution might be extended by one more hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you.

SHRI GURJEET SINGH RANA (JALANDHAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me a chance to speak on this subject. आज किसान और खेतों में मजदूरी करने वाले मजदूरों पर बोलने का मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हिन्दुस्तान की आबादी एक सौ करोड़ से ऊपर हो गई है। उसमें से 12 करोड़ किसान और 34 करोड़ मजदूर हैं। उन 34 करोड़ मजदूरों में से 24 करोड़ वे लोग हैं जो खेत में मजदूरी करते हैं। आज चिंता का विाय है कि अगर हमने 24 करोड़ लोगों के बारे में सोचना है तो हमको उन 12 करोड़ किसानों को मजबूत करने, आर्थिक रूप से मजबूर करने की

जरूरत है। किसान कर्जे में दबा पड़ा है और सबसे बड़ी बात है कि खेती में इनपुट आज बढ़ गया हैं। आज वह फसल को डीजल, कीटनाशकों, फर्टिलाइजर आदि की कास्ट काफी बढ़ गई है। जिससे मैं समझता हूँ कि खेती आज उतनी वायबल नहीं है। आज किसान को चिंता है कि उसको कम्पीट करना पड़ेगा, दुनिया के पैदा किए हुए अनाज, सब्जी और फल से जो विदेशों से इम्पोर्ट होगा। इसके लिए आज हमें किसान की खेती के बारे में सोचने की जरूरत है। वह कैसे अपने आपको बचाएगा और उसके यहां जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनका वेतन सही समय पर और सही मजदूरी उन खेतिहर मजदूरों को दे पाएगा। उसके लिए मैं समझता हूँ कि अनुसंधान और विकास की जरूरत है। हमारे कृाि संस्थान और कृाि विश्वविद्यालय उनके लिए ऐसा बीज तैयार करें जिससे क्वालिटीवाइज़ वे संसार से कम्पीट कर सकें। किसान की पैदावार बढ़नी चाहिए तभी किसान अपने परिवार और अपने मजदूर का ध्यान रख सकता है।

मैं पंजाब का उदाहरण देना चाहूँगा कि आज पंजाब में हम किसान की बात करें तो किसान मजदूर जैसा ही है क्योंकि किसान की प्रति जमीन ऐवरज दो एकड़ की है और दो एकड़ में किसान अपना परिवार कैसे पाल सकता है। यह एक चिंता का विाय है। इसके लिए यूपीए सरकार ने जो डाइवर्सिफिकेशन की बात की है मैं उसका स्वागत करता हूँ। जिस डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं। यह 1986 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जब वह पंजाब के कृाि मंत्री थे ने कही और 2002 में जब वे मुख्यमंत्री बन के आए तो उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन पर पूरे जोर शोर से काम किया। उससे मैं समझता हूँ कि जो डाइवर्सिफिकेशन की नीति केन्द्र सरकार ने अपनायी है इससे किसान और खेती को फायदा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में डाइवर्सिफिकेशन पर पिछले दो ढाई साल में बहुत प्रयास किया गया है। आज जरूरत है वैल्यू आफ क्राप की। उसके लिए फण्ड मुहैया कराना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन की बात करना बहुत आसान है लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल है।

मैं समझता हूं कि अगर सरकार मजदूर और किसान के बारे में सोचती है तो पहले पंजाब को पॉयलट स्टेट बनाकर उसमें इम्प्लीमैंट करके देखे। अगर वह वहां कामयाब होती है तब उसे बाकी हिन्दुस्तान में लागू करे। जहां तक किसानों की बात है, 24 करोड़ मजदूर खेत में काम करने वाले हैं और दस करोड़ लोग अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर इंडस्ट्रियल वेजेज और खेत में काम करने वाले मजदूरों की वेजेज और फैसीलिटीज की बात करें तो उसमें बहुत अंतर है। यह गैप तभी ब्रिज हो सकता है जब किसान खुशहाल होगा और मजदूरों को समय से और सही वेतन मिल पाएगा। इसके लिए क्राप डायवर्सीफिकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ऐग्रो इंडस्ट्री कलस्टर फार्मेशन में होनी चाहिए ताकि गांवों में इंडस्ट्री लगी हो, कुछ लोग इंडस्ट्री में काम करें और किसान ऐसी फसल पैदा करें जो मार्किटेबल हो, प्रोसैसेबल हो। आज इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है।

बजट में सौ करोड़ रुपये की ग्रांट वर्ल्ड क्लास साइंटीफिक यूनीवर्सिटी के लिए दी गई है। It is a step in the right direction. But, at the same time, we have to look at 70 per cent of the population. ऐग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी को ग्रांट दी जानी चाहिए ताकि रिसर्च एंड डैवलपमैंट हो और जो किसान सुसाइड कर रहे हैं, उनको और खेत में काम करने वाले मजदूरों को कम्पीटिशन के थ्रू सहूलियत दे सकें। यह तभी हो सकता है जब लिब्रल तरीके से पंजाब ऐग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी, जिसने ग्रीन रैवोल्यूशन में काम किया, को ग्रांट दें। जहां तक खेती से जुड़े हुए मजदूरों की बात है, वे ज्यादातर गांव में रहते हैं। अगर शहर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स या आम शहरी से उनकी तुलना करें तो गांवों में अस्पताल नहीं हैं और अगर हैं तो डाक्टर वहां जाना नहीं चाहते। मैं समझता हूं कि अगर दो प्रतिशत सैस रूरल डैवलपमैंट फंड के तौर पर अनाज के ऊपर लगा सकते हैं, दो प्रतिशत मंडियों का लगा सकते हैं, ढाई प्रतिशत आड़तियों को दे सकते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि एक प्रतिशत सैस खेत मजदूरों की हैल्थ इंश्योरैंस के लिए भी हिन्दुस्तान भर में लगा देना चाहिए। वह बंटा हुआ होगा। खेत में जो मजदूर काम करते हैं, उनको अपनी सेहत की चिन्ता करने की जरूरत नहीं होगी और हैल्थ इंश्योरैंस के थ्रू वे दवाइयों का बिल दे सकते हैं। मैं विनती करूंगा कि यह जरूर होना चाहिए।

जहां तक ऐजूकेशन की बात है, जो लोग गांवों में रहते हैं, चाहे वे मजदूरों से ताल्लुक रखते हों चाहे खेती से ताल्लुक रखते हों, उनके बच्चे गांवों के आम स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर आज वहां के स्कूलों की हालत देखें, पंजाब, बिहार या हिन्दुस्तान का कोई और गांव हो, तो हालत बहुत चिन्ताजनक है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां एक-एक मास्टर दो सौ बच्चों को पढ़ा रहा है। जो 70 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं, उनके बच्चों को सही एजुकेशन मिले और वे कम्पीटिशन में बैठ सकें, ऑफिसर बनें, इंजीनियर बनें, इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। आज हो यह रहा है कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बन रहा है क्योंकि उसे पढ़ने के लिए फैसीलिटी नहीं मिल रही है। राज्य सरकार लाचार है, असमर्थ है, उनके पास फंड का क्रंच है। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को इस बारे में जरूर कुछ सोचना चाहिए ताकि उनको बेसिक ऐजूकेशन प्रोवाइड की जा सके।

जहां तक इंडस्ट्रियल वर्कर के मुकाबले आम वर्कर की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि यह तभी संभव हो सकता है जब यूपीए सरकार डायवर्सीफिकेशन की नीति डायवर्सीफाई करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ऐग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दे।

जो हमारा हार्टिक्लचर मिशन बना है, उसमें 630 करोड़ रुपये प्रोवाइड किये गये हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से 630 करोड़ रुपये कम हैं। ये रुपये और बढ़ाये जाने चाहिए। इस हार्टिक्लचर मिशन के जरिये हम हॉर्टिक्लटर और वेजीटेबल्स की अच्छी वैरायटी प्रोड्यूस करें तो वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। इसका बहुत फायदा होगा।

ांत में, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे जो लैंडलैस लोग हैं चाहे वे गांव में रहते हों, उनके लिए हाऊसिंग की बहुत प्रौब्लम है। आज पापुलेशन बढ़ रही है इसलिए एक कमरे में चार-चार शादी शुदा लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस के समय में एक स्कीम बनायी गयी। एनडीए और उसके बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं, सबने उस स्कीम पर काम किया। उसके तहत जितने एस.सी. और बैकवर्ड क्लास के लोग है, उनको प्लाट दिया गया। मैं अपना प्वाइंट रेज़ करना चाहूंगा, आप सब भी मेरे साथ सहमत होंगे कि गांव से बाहर कॉमन जमीन पर एस.सी. और बैकवर्ड क्लास की कालोनी काट दी गयी। एक तरफ हम बराबरी की बात कह रहे हैं क्योंकि हमारे समाज में सबको बराबरी का अधिकार है, हमने एस.सी. और बैकवर्ड क्लास के लिए एक कालोनी बाहर बना दी। पंजाब में हम इसे कालोनी कहते हैं। मैं समझता हूं कि एक हद तक यह बात ठीक थी लेकिन आज इसको सुधारने की जरूरत है।

हमारे मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्द्र सिंह की जो सोच है, उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उनका कहना है कि एक क्लस्टर यानी चार-पांच गांव में सांझी जमीन को इकट्ठी करके एक गांव बनाया जाये जिसमें लैंड लैस लोगों को जमीन दी जाये चाहे वे एस.सी. हों या ब्राह्मण ही क्यों न हों।

15.12 hrs. (Shri Arjun Sethi *in the Chair*)

पहले सब लोग इकट्ठे रहते थे, इसी तरह का वह गांव बने। उस गांव में हर किस्म की फैसीलिटीज प्रोवाइड हों--वाटर, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, धर्मशाला, धार्मिक संस्थाओं जैसे गुरुद्वारा, मंदिर मस्जिद के लिए जमीन, बच्चों के प्लेग्राउंड के लिए जमीन हो ताकि फिर से बराबरी और इकट्ठे रहने का माहौल बने। मैं समझता हूं कि सेक्रीगेशन से भारत को नुकसान होगा क्योंकि सेक्रीगेशन ज्यादातर गांवों में हो रहा है। इसे इकट्ठा करने की बातचीत होनी चाहिए। हमारे समाज में किसान, मजदूर आदि के इकट्ठे रहने की भावना भी उतनी ही जरूरी है जितनी उसकी इकोनामिक स्थिति जरूरी है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक) : माननीय सभापति महोदय, आज जिस संकल्प पर चर्चा हो रही है, वह बड़ा महत्वपूर्ण संकल्प है। इस संकल्प के दूरगामी परिणाम भी निकल सकते हैं। लेकिन संकल्प प्रस्तुतकर्ता मित्र ने जहां इसको महत्वपूर्ण बताया वहीं इसको यथार्थ स्थिति वाले घेरे से बाहर नहीं निकाल सके। इस संकल्प को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं--

> " कृाि क्षेत्र में आये अभूतपूर्व संकट जिसके परिणामस्वरुप कृाक और कृाकिर्म ऋण, बेरोजगारी और निर्धनता के कुचक्र में फंस गये हैं और बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं, को ध्यान में रखते हुए, यहां तक तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही गयी है, को रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि ऐसे आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के परिवारों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त राहत उपलब्ध करायें तथा कृाि क्षेत्र में वित्त पोाण के उपाय के साथ-साथ ऋण से राहत प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम भी उठायें ताकि कृाि क्षेत्र को देश के अति महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के रूप में पुनर्जीवित किया जा सके। "

एक बार आप कर्ज माफ कर दें तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। किसान फिर कर्ज में फंस जायेगा। एक बार कुचक्र से बचा लें तो कोई लाभ नहीं है क्योंकि वह फिर कुचक्र में फंस जायेगा। क्योंकि आज जिस मुकाम पर खड़ा है, यह बहुत ही चुनौती पूर्ण स्थिति इस देश में आ गयी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक कहावत थी कि उत्तम खेती, अधम चाकरी, मध्यम काम व्यापार। यह उक्ति इस देश में चलती थी। उस समय देश में जिस तरह का वैभव था, जिस तरह की भौतिक सम्पदा थी, जिस तरह की बौद्धिक सम्पदा थी, उसको देखते हुए कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है।

यह अब इतिहास की बात हो गई है। भारत में घी, दूध की नदियां बहती हैं, यह भी अब इतिहास की बात हो गई है। अब तो केवल बच्चे पढ़ेंगे और इन कहावतों पर हंसी-मजाक ही करेंगे क्योंकि यह उस वक्त की बात है। पहले कहा जाता था कि 'उत्तम खेती, अधम चाकरी, मध्यम काम व्यापार' और आज यह उल्टा हो गया है। उत्तम चाकरी, आज सारा नौकरशाही जो हमारे देश में आ गई है, वह सबसे उत्तम है। मध्यम काम व्यापार और अधम काम खेती हो गया है। यह जो स्थिति आई है, यही स्थिति सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति है। जो किसान इस देश का पेट भरता है, कृि करता है, रात-दिन मेहनत करता है, उसकी जर्जर हालत हो रही है। ये जो आत्महत्याएं हो रही हैं, इनके लिए भी हमारी जो कृि की व्यवस्था और हमारी आर्थिक व्यवस्था है, वह जिस तरह से तहस-नहस हुई है और जिस तरह से सत्यानाश हुआ है, उसके लिए यह एक चेतावनी है और इस चेतावनी को हमें गंभीरता से लेना चाहिए।

सभापति महोदय, क्या आपने कभी सुना कि किसी उद्योगपति, किसी सरमायेदार या किसी जागीरदार या किसी धनी पुरुा ने आत्महत्या की हो। ये लोग अरबों-अरबों रुपया हमारे बैंकों से कर्जा लेकर सरकारी वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेकर अपना औद्योगिक साम्राज्य खड़ा करते हैं, ऐश्वर्य का जीवन जीते हैं और सबसे ज्यादा उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग करते हैं। बाद में स्वयं सबसे ज्यादा तड़क-भड़क वाला जीवन जीते हैं। इनके यहां किसी तरह का कोई अभाव नहीं होता। ऐसे किसी वर्ग को क्या आपने आर्थिक कारण से आत्महत्या करते हुए देखा है? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि ये लोग कर्ज लेते हैं, दिवाला निकालते हैं, दिवाला नहीं निकालते तो सिक इंडस्ट्री घोाित करा देते हैं। एक के बाद एक इस देश की नीतियां, जैसा मैंने कहा कि इस व्यापारी वर्ग ने सारे तंत्र को इस तरह से जकड़ा है कि इसके साथ ही ये ऐश्वर्य का जीवन बिता रहे हैं। 80 प्रतिशत किसान दो एकड़ की जमीन का मालिक है। उसकी क्या हालत होगी ? यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि इस देश में जब अंग्रेज आए थे, उसके पहले की स्थिति और जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, हमारे यहां घी, दूध की नदियां बहती थीं, उस समय केवल 40 प्रतिशत आबादी खेती में लगी हुई थी। जब हमारे देश पर विदेशी आक्रमण हुए, कई आक्रमणकारी आकर चले गये, भौतिकता के नाम से हमारे विश्वविद्यालय को नट करके चले गये। हमारे यहां से सारी ज्ञान-गंगा को लेकर चले गये। लेकिन जिस समय अंग्रेजों ने हमारे देश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, उस समय अंग्रेजों के यहां ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात शुरू हो चुका था। उस औद्योगिक क्रांति के कारण उनको अपनी इस खपत को बाजार चाहिए था और उन्हें सबसे बढ़िया बाजार हिन्दुस्तान मिला जो उनके कब्जे में आ चुका था। यहां की हर श्रेठ चीज को उन्होंने नट किया। यहां की संस्कृति कला को नट किया, उसमें लगे हुए लोगों को कृि की ओर धकेला। यहां की ललित कलाओं को नट किया, उनमें लगे हुए लोगों को कृि की ओर धकेला। यहां के ज्ञान-भंडारों को नट किया और पठन-पाठन में लगे हुए लोगों को कृि की ओर धकेला। यहां के कुटीर-उद्योगों को नट किया और उनमें लगे हुए लोगों को कृि की ओर धकेला। जो भी हमारे हस्त-शिल्प की चीजें थीं, उनमें लगे हुए लोगों को खेती की ओर धकेला और धीरे-धीरे 1947 में जब अंग्रेज गये, उस समय इस देश की 85 प्रतिशत आबादी कृि की ओर धकेली जा चुकी थी जो खेती में 85 प्रतिशत आबादी लगी हुई थी, उन लोगों को अंग्रेजों ने कभी अच्छी खेती करने की ओर प्रोत्साहन नहीं दिया। अंग्रेज जानते थे कि यह देश किसानों का देश है। किसान स्वाभिमानी हैं, इनमें जागृति आएगी और जागृति आएगी तो उनमें समृद्दि आएगी और वह उनके लिए चुनौती बनेगा। इसलिए किसानों को गरीब, अज्ञानी, अशिक्षित रखा गया जिसका परिणाम यह हुआ है, जैसा कि अभी माननीय सांसद कह रहे थे, जो एक कहावत अब आई है कि किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। यह अंग्रेजों की देन है। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद हमने जो रास्ता अपनाया, वह रास्ता औद्योगिक विकास करने का रास्ता था। औद्योगिक विकास करने के लिए हमारे यहां योजना आयोग का निर्माण किया गया।

योजना आयोग की स्थापना का उद्देश्य था योजनाबद्ध तरीके से हिन्दुस्तान का विकास। लेकिन किसानों की ओर तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। औद्योगिक घराने खड़े हो गए और उन्होंने हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नट कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब कपड़ा बनाने वाले उद्योगपति आ गए तो कपड़ा कारखानों में बनने लगा और गांव में जो जुलाहे और कोली कपड़ा बनाने का काम करते थे, वे बेकार हो गए। उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी। जूते बनाने के कारखाने खुले, बाटा के जूते बिकने लगे और गांवों में जो चर्मकार लोग चमड़े का काम, जूते इत्यादि बनाने का काम करते थे, उनकी रोजी-रोटी पर आक्रमण हुआ, उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गयी। टाटा के आने से गांवों में जो लोग लुहारी और सुथारी का काम करते थे और इससे सम्बंधित गांव की जरूरतों को पूरा करते थे, उन पर हमला हुआ। यही हाल दोना-पत्तल बनाने वालों का हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी ग्रामीण हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों पर कारखाने वालों का हमला हुआ और इसके परिणामस्वरूप लगातार ये हस्तशिल्प और उद्योग नट होते चले गए। आजादी के बाद औद्योगीकरण पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। औद्योगीकरण का क्या लाभ मिला? औद्योगीकरण का यही लाभ हुआ कि आज आजादी के 55-56 सालों बाद भी हमारी जनसंख्या का 65 प्रतिशत कृि पर निर्भर हैं और मात्र 30 प्रतिशत लोगों को हम कृि से

बाहर निकाल पाए हैं। आज यह जो स्थिति बनी है, इसके लिए हमारी औद्योगीकरण की नीतियाँ जिम्मेदार हैं। महोदय, महत्वपूर्ण संकल्प है, चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन यथास्थितिवाद से अब काम चलने वाला नहीं है।

आज हम मैकालेवाद की आलोचना करते हैं। जब मैं विद्यार्थी था, तब से यह सुनता आ रहा हूँ कि मैकाले ने देश में क्लर्क बनाने वाली शिक्षा पद्धति बनाई। उसका उद्देश्य ऐसे क्लर्क और गुलाम पैदा करना था जो उनके शासन को स्थायी बनाए रखने के लिए काम करें, जो मानसिक रूप से पूरी तरह उनके गुलाम और उनके तलवे चाटने वाले हों। उसी शिक्षा पद्धति पर हम आज भी चल रहे हैं और इसीलिए आज भी पढ़े लिखे व्यक्ति का मन, उसकी भावना, उसके विचार कभी भी खेती की ओर, गांवों की ओर, कृाि और पशुपालन की ओर नहीं लगते। यही एक कमी है अन्यथा हमारे पास क्या कमी है? यह दुनिया का सर्वश्रेठ भूभाग है, जिस तरह की प्रकृति और भौतिक संसाधन यहाँ उपलब्ध हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। हिमालय आपको कहीं नहीं मिलेगा। गंगा और यमुना का यह पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। यहाँ की जो श्रेठ जलवायु है, जो वनस्पतियाँ हैं, जो फल-फूल हैं, वे और कहीं नहीं मिलेंगे।

यहाँ बार-बार कहा जाता है कि बैंक किसानों को कर्ज देंगे, कम ब्याज लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बैंकिंग व्यवस्था का उद्‌भव कैसे हुआ? इसका उद्‌भव पूंजीपतियों द्वारा किया गया और इसने पूंजीपतियों को आगे बढ़ाया और हम इस व्यवस्था से उम्मीद कर रहे हैं कि वह हमारे किसानों के हित की बात करेगी। ये जो टुकड़े डाल रहे हैं, जो छोटे-मोटे कर्ज दे रहे हैं, उससे किसानों का भला नहीं होगा। यह व्यवस्था किसानों का कभी भी भला नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इसका मूल ही उद्योगपतियों और बहुराट्रीय कंपनियों का हित है। दुनिया के जो पैसे वाले धनिक देश हैं, वे इस देश की आर्थिक स्थिति को अपने कब्जे में करना चाहते हैं और वह तभी हो सकता है जब ये पूंजीपति लोग गुलाम बन जाएं। पूंजीपति लोग गुलाम बनते जा रहे हैं, सब बहुराट्रीय कंपनियों में खप रहे हैं। नेताओं के घरों के बच्चे, भले लोगों के घरों के लड़के बहुराट्रीय कम्पनियों में जो रहे हैं। वे कहते हैं - वहाँ हर महीने पांच लाख रूपए वेतन मिलेगा।

क्या मिलता है, यह मिलता है, वह मिलता है। इस संस्कृति की ओर इस देश का आदमी बढ़ रहा है। यह बहुराट्रीय कम्पनीज का एक बहुत बड़ा ाड़यंत्र है। इसे तोड़ने के लिए साधारण तरीके से काम नहीं चलेगा। आज आपको टोटल उलट बांसी करनी पड़ेगी। टोटल उलट बांसी का मतलब है कि योजना आयोग से लगा कर नीचे तक आपको वे व्यवस्थाएं लानी पड़ेंगी, जिनकी धुरी इस देश का किसान हो। अगर देश को समृद्ध बनाना है, आगे बढ़ाना है, शक्तिशाली बनाना है, इस देश को बहुराट्रीय कम्पनीज या ि वदेशी ताकतों से बचाना है, उनके आर्थिक तंत्र से बचाना है, तो हमें टोटल यू टर्न करना पड़ेगा।

आप देखें कि आपकी नीतियों का क्या परिणाम हो रहा है। डालर आ रहा है बहुराट्रीय कम्पनीज के साथ। डालर आ रहा है, अच्छे-अच्छे डालर्स में बड़ी-बड़ी तनख्वाहें हमारे सब लोगों को आकर्िात करती हैं। वे डालर में वेतन ले रहे हैं। डालर ला रहा है डिस्को डांस यानि संस्कृति पर हमला। डिस्को डांस के बाद आ रही हैं ड्रग्स और ड्रिंक्स। ड्रग्स और शराब का जो जाल फैल रहा है, आप सारी जगह घूम आएं, ऊपर से लेकर नीचे तक, सब तरफ देखिए क्या हालत हो गई है। ड्रिंक्स के बाद ड्रग्स आ रही हैं। ये सब डालर की उत्पत्ति हैं। ड्रिंक्स, ड्रग्स के बाद अंतिम डी है यानि डिस्ट्रक्शन। हमारे यहां थोड़ी बहुत बची हुई संस्कृति की जो विरासत है, हमारा जो ज्ञान है, जो हमारी बौद्धिकता है, उसे पूरी तरह से तहस-नहस करके आर्थिक गुलामी की ओर यह देश जा रहा है। यह परिस्थिति पैदा की जा रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं इस लोक सभा के रिकार्ड में यह शब्द रहने चाहिए कि आज टोटल उलट बांसी है। सारे विश्वविद्यालयों के रूप में, महाविद्यालयों के रूप में, माध्यमिक विद्यालयों के रूप में, प्राथमिक विद्यालयों के रूप में जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनका नाम बदल दीजिए। कृाि विश्वविद्यालय, कृाि महाविद्यालय, कृाि माध्यमिक विद्यालय, कृाि प्राथमिक विद्यालय, पशु विश्वि वद्यालय, पशु महाविद्यालय, पशु माध्यमिक विद्यालय और पशु प्राइमरी स्कूल होने चाहिए। जब यह भावना होगी, तो इस देश का बच्चा कृाि विद्यालय या कृाि विश्वविद्यालय या पशु विद्यालय में जाएगा और उनकी सेवा करेगा। यही हमारे यहां का धर्म है, यही हमारे यहां का वैभव है। इसलिए आज सरकार की नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। यह आवश्यक नहीं हुआ तो हम शासन के रूप में तो गुलाम हो गए हैं, लेकिन आर्थिक दृटि से भी गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बहुराट्रीय कम्पनीज उदारीकरण और भूमंडलीकरण की बात करती हैं।

मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि हम तुलना करना चाहते हैं उस अमेरिका से, जिसका भूभाग हमारे यहां से पांच गुना अधिक है और आबादी हमारे यहां से एक चौथाई ही है। उसमें से भी चार प्रतिशत आबादी अनाज पैदा करके सारे देशों को दे रही है, उससे हम तुलना करना चाहते हैं। हम रूस से तुलना करना चाहते हैं, जिसका भूभाग हमारे यहां से छः गुना ज्यादा है और आबादी एक

चौथाई से भी कम है। यह तुलना बेकार है, बेमानी है। इसके कोई माने नहीं हैं। मैंने जैसा कहा - आज उलट बांसी हो गई है। जिस कामगार के काम को अधम माना गया, उस पर नौकरशाही हावी है। योजना आयोग को देख लें, वहां कोई पंडित नहीं मिलेगा। कृि आयोग में कोई पंडित नहीं है। शीश राम ओला वहां नहीं बैठ सकेंगे, वहां आई.ए.एस. ही बिठाया जाएगा। क्षमा कीजिए, आपक-हमारी मित्रता है, लेकिन मैंने आपको प्रतीक के रूप में किसान माना है। यह आईएएस की क्या व्यवस्था है, अंग्रेजों की गुलामी कायम रखी जाए, यही इनकी व्यवस्था है। थोड़ी सी स्मरण शक्ति के आधार पर, इंटेलीजेंस के आधार पर और इंटेलैक्चुएलिज्म के आधार पर एक बार परीक्षा में बैठे, पास हो गए, फिर क्या, सारी समस्याओं का हल इनके पास है। केन्द्रीय सचिवालय में देख लीजिए, हर क्षेत्र में आईएएस बैठा है। प्रांतीय सरकारों में देख लें, हर क्षेत्र में आईएएस बैठा है। उसने क्या किया है, कैसे बना है। आज हम देखते हैं आईएएस बनाने वाले कुछ स्कूल्स खुल गए हैं। पूंजीपतियों, सरमायदारों और जागीरदारों के वे स्कूल्स हैं। वहां से निकलने वाला लड़का आईएएस होता है और वह सारे देश का भाग्यविधाता हर क्षेत्र में बना बैठा है।

मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि ऐटॉमिक एनर्जी का सचिव आईएएस है, भई एटॉमिक एनर्जी में तुम क्या जानते हो, तुमने तो साइंस में नम्बर लेकर आईएएस पास की है। इसी तरह से कृि क्षेत्र में भी आईएएस सचिव है। यह जो आईएएस की प्रथा चली है, मुझे अफसोस है कि इस देश में आईएएस की जिस बुनियादी तरीके से स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी, विचार होना चाहिए था कि कौन किधर जा सकता है, वह नहीं हुआ। लेकिन इन सब समस्याओं की जड़ जैसा मैंने कहा - उलट बांसी है। कृि आयोग बना है, कैसे काम करना है, उन्हें जानकारी नहीं हो सकती। योजना आयोग है, वहां भी आईएएस है जो राय देता है, एक सदस्य है। आज कृि ऋण आयोग वगैरह सब नकारा हो गए। सारी व्यवस्था नकारा हो गई।

इस देश को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें कृि के उन्नयन की ओर लौटना होगा। कृि क्षेत्र में होने वाली आत्महत्याएं अभी कम हैं, आने वाली जो चुनौतियां हैं अभी तो कम हैं लेकिन जो व्यवस्था आज चल रही है, इस व्यवस्था में इन चुनौतियां का सामना करने का, इन चुनौतियों का हल नहीं है। यह समस्या आज कम है लेकिन कल ज्यादा होगी। आज भी हमारा आधा देश भूखा सोता है और देश की आधी जनसंख्या को पेटभर खाने को नहीं मिलता है, किसान को पेटभर खाने को नहीं मिलता है। हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं लेकिन आज भी करोड़ों लोग पटरियों पर सोते हैं, पटरियों पर जीते हैं और पटरियों पर ही मर जाते हैं और उनके लिए शैल्टर की व्यवस्था हम आज तक नहीं कर पाए हैं। क्या यही हमारा लोकतंत्र है, यही हमारी संवेदनशीलता है? इस अवसर पर मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमको कृि को धूरी मानकर, ऊपर से लेकर नीचे तक समृद्धशाली बनाना है और इस देश के ज्ञान को सारी दुनिया में फिर से स्थापित करना है तो ऐसे प्रयत्नों से ही हमारा देश आगे बढ़ सकेगा और हम समृद्धशाली बन सकेंगे।

कुछ लोग कहते हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। हमें अगर 21वीं सदी को हिंदुस्तान का बनाना है तो फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया, बौद्धिकता का सिरमौर और दूध-दही की नदियां बहाने वाला देश पैदा करना होगा। आज कल जो चल रहा है कि थोड़ा इधर दे दो, थोड़ा कर्जा माफ कर दो और गरीबी वहां की वहां, परनाला बहेगा वहां का वहां। इसको बदलने के लिए जैसा मैंने कहा कि हमें टोटल यू-टर्न लेना होगा और कृि को धूरी मानने का संकल्प लेना होगा। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, बहुत ही सही समय पर और जो आज भारतीय समाज की प्रमुख समस्या है, उस पर सरकार और सदन का ध्यान आकर्ाित करने के लिए यह प्रस्ताव विचार के लिए आया है। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने चर्चा में इसको लाकर एक अवसर देकर, सदन को और सरकार को, दोनों को ही कुछ सकारात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य किया। भारत जैसे देश के लिए यह दुःखद बात है कि जिस भारत देश की वर्क-फोर्स का 62 फीसदी भाग कृि कार्य में लगा हुआ है, वहां पिछले तीन वार्ों से लगातार कृि की पैदावार में गिरावट आ रही है। पिछले दो-तीन सालों का अगर हम सर्वेक्षण करें तो पायेंगे कि भारत की जनसंख्या डेढ़ से दो फीसदी के हिसाब से बढ़ रही है और कृि की उन्नति इतने ही अनुपात में नीचे की ओर जा रही है और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण संकेत है। भारत की तरक्की 7 से 8 फीसदी के हिसाब से हो रही है, लेकिन हम ऐसा लक्ष्य मानते हैं कि 10वीं योजना के अंतिम वा में हमारे देश की वार्िक तरक्की की रफ्तार 8 से 10 फीसदी होगी। यदि हमने इसको 10 वार्ों तक कायम रखा तो हम 2020 तक, भारत के रा्ट्रपति जी की शुभकामनाओं के साथ दुनिया की बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन जायेंगे।

ब्रिटेन की एक संस्था के द्वारा यह आकलन किया गया है कि भारत 3 से 4 वा के अंदर दुनिया की तीसरे नम्बर की ताकत बनने जा रहा है। हम चाहे ताकत तीसरे, चौथे या पांचवें नम्बर की बन जाएं लेकिन मानवीय गुणवत्ता के हिसाब से हिंदुस्तान दुनिया के 175 देशों में 143वें स्थान पर है। हमसे भी गरीब और कंगाल सार्क और अफ्रीका के थोड़े से देश हैं। कंगाली, दरिद्रता, रोग और

निरक्षरता में हमसे गया बीता देश दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश के शुभचिंतक और आकलनकर्ता इस देश की बहुसंख्यक आबादी को पीछे धकेलकर, थोड़े से लोगों की तरक्की को सामने रखकर, इस देश की तरक्की का अहसास कराना चाहते हैं।

उस बात को हम अपने देश के अन्दरूनी हालात के बारे में देख सकते हैं। जिन राज्यों को हम सबसे अधिक तरक्की के पायदान में अगली कतार में देखते हैं, खास तौर से आन्ध्र प्रदेश, महाराट्र, कर्नाटक और केरल, जब हम इन तरक्की वाले राज्यों को ठीक से कसौटी और तुला पर तोलने की कोशिश करते हैं तो दिखायी पड़ता है कि किसानों ने सबसे अधिक आत्महत्या इन्हीं राज्यों में की है जिस की संख्या साढ़े 2250 तक हैं। जिस राज्य को हाई टैक में उड़ान भरने का एक अवसर हमारे देश के नीति निर्माताओं ने दिया और यह कहा कि आईआईटी इंडस्ट्री के क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश छलांग लगा कर बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और बैंगलौर शहर हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा निर्यातक इस मामले में हो गया है लेकिन जब हम जमीनी धरातल पर जाते हैं तो उसका यही निर्का निकलता है कि 2200, 850, 85 और 1200 तक किसान अपनी लाचारी और बेबसी के चलते आत्महत्या करने को मजबूर हुए। ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है? आप निजी अनुभव से देख सकते हैं कि जिन राज्यों में किसानों की आत्महत्या हो रही है उन्हीं राज्यों में नक्सलवाद का प्रकोप भी बढ़ रहा है। नक्सलवाद का रोग उन्हीं राज्यों में है। वहां बूढ़ा किसान ऋणग्रस्तता के चलते, अपनी लाचारी के चलते आत्महत्या करता है और उसी का बेटा जंगल में जाकर हाथ में हथियार लेकर अपने हक के लिए संघा करने के लिए मैदान में निकलता है। उसे हम लोग कहते हैं कि यह नक्सलवाद का रोग है। क्या हम इसे दमन के जरिए रोक सकते हैं? ऐसी सोच सही ढंग से देश की सारी समस्याओं को गम्भीरतापूर्व स्वीकार न करने के कारण है। मुझे खुशी है कि भारत सरकार के कृा मंत्री ने एक बयान दिया है कि उनकी विशे पहल पर हिन्दुस्तान के व्यावसायिक और वाणिज्यिक बैंक किसानों को दो फीसदी कम रेट पर ऋण देने को तैयार हो गए हैं। आज तक वे तैयार क्यों नहीं थे? उन्हें इसकी तैयारी करने में इतना विलम्ब क्यों लगा और यह केवल व्यावसायिक बैंक क्यों करेंगे? व्यावसायिक बैंकों की शाखाएं हिन्दुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हैं। पिछले 14 वाँ से जब से हमने आर्थिक उदारीकरण की नीति चलायी, बैंकों में जब से ऑटोमेशन और कम्प्यूटराइजेशन की नीति का अनुसरण करना शुरू किया, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने गांवों में जाना बंद कर दिया। उनकी शाखाएं वहां नहीं खुलती। हिन्दुस्तान के किसान का सीधा संबंध सहकारी संगठन के बैंको, छोटे कपार्ट के बैंकों और नाबार्ड के बैंकों से है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से किसानों का संबंध है। ये बैंक नाबार्ड और कपार्ट से जिस सूद दर पर कर्ज लेते हैं, उसके दुगने रेट पर किसान को एक्सटैंड करते हैं। जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, किसी व्यक्ति को कार खरीदनी हो या बड़ा घर बड़े शहर में बनाना हो तो 7 फीसदी की दर से बैंक उनको कर्ज देने को तैयार हैं लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोआपरेटिव बैंक इस तरह के बैंक हैं जिन का किसान से रिश्ता है उनका रेट अभी भी किसानों के लिए साढ़े 11-12 फीसदी का है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस स्थिति से कैसे निपटें?

भारत के वित्त जी ने इस साल का बजट पेश करते समय कहा कि हमारी धमाकेदार कोशिश कृा क्षेत्र में निवेश करने की होगी। जब हमने बजट पढ़ा तो धमाकेदार पैठ किस क्षेत्र में हुई, उन्होंने पढ़ा कि 1 लाख 8 हजार करोड़ इस वा हिन्दुस्तान की सरकार बैंकों के जरिए भारत के गरीब किसान को ऋण के रूप में देने वाली है। मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के किसानों को ऋणग्रस्त बना कर उनकी हालत को सुधारा नहीं जा सकता है। हिन्दुस्तान के किसान की कोई फसल ऐसी नहीं होगी, जिस फसल से वह हर महीने बैंकों की मासिक ऋण की किश्त को अदा कर सके। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस सोच को बदला जाए। किसान की जो उपज है, उसका लाभकारी मूल्य दिया जाए। किसान का जो निवेश है उस निवेश को सस्ता बनाया जाए। किसान की जिस पूंजी को हम खेती में लगाते हैं, उस पूंजी को आसान और सरल तरीके से किसान को आसान सूद दर पर मुहैया करके हम किसान की हालत को सुधार सकते हैं। किसानों की तरक्की के लिए और खेती की तरक्की के लिए भारत सरकार अपनी सोच को परिवर्तित करे । उसी परिवर्तन के लिए और विचार विमर्श के लिए ही यह प्र स्ताव आया है । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि किसानों के लिए अपनी सोच में परि वर्तन करे और उनसे जुड़े हुए जो संगठन हैं, उन्हें ऋण व्यवस्था से उबारने के लिए और उनको सहूलियतें देने के लिए ऋण नीति पर विचार करे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, it is my pleasure to participate in this Resolution which deals with relief measures for workers in the agrarian sector. We all know that an unprecedented crisis in agrarian sector has affected us for quite a long time, more than a quarter century ago. We have been discussing this subject to that extent in different Lok Sabhas for the last 25 years. Shri Vasudevan

Nair who is the Mover of this Resolution is the right person, who has experience to his credit regarding providing social security to the agricultural labourers and agricultural workers.

There is a distinction between agrarian sector and the unorganised agriculture workers. When we discuss about the agriculture sector, we have to deal with both these aspects. In the Resolution, Shri Vasudevan Nair has very rightly mentioned about the debt trap, about the farmers' suicide and also about the problems of agriculture workers. And there is a direction to the Government. What type of support should be provided from the State as relief to the agriculture sector both for the landholders and also for the workers who toil in the field? What type of effective debt relief is required to rejuvenate our rural masses, rural sector? The framers of the Constitution have made provisions for protecting the peasantry under article 43 of the Constitution, which assures a 'living wage' to all workers including agriculture, and working conditions that facilitate a 'decent living'.

Hon. speaker from the BJP who preceded Shri Mohan Singh had very rightly mentioned that 56 years ago or 55 years ago when the Constitution was framed, the rural life was very different. A drastic change has taken place. People who were engaged as artisans, people who were engaged in different fields supporting rural economy, have been divested of their traditional skills. Now the skill or the input is being provided to the masses, by producing machine, or industries.

Earlier, Indian agrarian society was self-sufficient, in the sense that whatever was being produced, was being produced by the masses. Now, the trend is totally the reverse. Now, mass production is being done by a single industrial house for the masses in a large quantity. This is the difference which has totally divested the rural areas, the agrarian economy from income. That is the main reason why unemployment has risen to a great extent.

When we have that clause enshrined in the Constitution, to provide 'living wage' and to provide 'decent life style,' I think, the onus lies with the Government to make suitable amendments and bring out a suitable law to that effect.

The State should particularly try and develop cottage industries in the rural areas, which will provide alternative employment other than farming. According to the Census of 2001, there are about 10.70 crore agricultural labourers and 12.70 crore medium and large farmers.

In view of the long pending need of social security cover to the agricultural workers, the NDA Government, in the year 2001, had launched Krishi Shramik Samajik Suraksha Yojana. That was with effect from 1st July, 2001 through the Life Insurance Corporation. In the first stage, the scheme was implemented in 50 selected districts and covered around 10 lakh agricultural workers amounting to 20,000 workers in each district over a period of three years. A worker was required to pay Re. 1 per day or Rs. 365 per year, and Rs. 2 per day or Rs. 730 per year were to be paid by the Government for the beneficiary. This was the scheme for three years. We would like to be apprised by the Government how far they have extended that scheme. Is it only confined to those 50 selected districts? Do they still have that scheme or they have abandoned it? Do they intend to expand that scheme for other most backward districts?

It is stated in a report that 1,00,074 agricultural workers were covered under the scheme by 31st October, 2002. It provided old-age pension to those who were more than 60 years of age; it provided a personal accident insurance; and it also provided medical insurance.

Sir, there was another scheme called Janashree Bima Yojana, which was launched with effect from 10th August, 2000. This provided an insurance cover of around Rs. 20,000 in case of natural death; Rs. 50,000 in case of death or permanent total disability; and Rs. 25,000 in case of permanent disability due to accident. The age group was confined to 18 to 60 years. The BPL families were also included in that scheme. That scheme was extended to the age group of 25 or more. How far have the Government extended this scheme?

To pursue their common interests, the workers in the agrarian sector cannot organise themselves due to certain constraints. We all know it. Invariably, throughout the country, the agricultural labourers belong to the depressed class. They cannot organise themselves to pursue their common interests. Another major hindrance is that the service they provide is very casual in nature of employment. Ignorance plays a greater role in that. Illiteracy and small and scattered size of establishment also add up to this problem. Out of 36.9 crore workers in the unorganised sector, around 23.7 crore are employed in agriculture sector, 1.7 crore in construction sector, 4.1 crore in manufacturing activities, 3.7 crore each in trade and transport, and in communication and services. This is as per the list, which is there in the Census. So, a majority of them are the agricultural labourers. I think it is high time that the Government should come out with the Bill, which was contemplated in 2004 by Shri Sahib Singh Verma when he was the Minister of Labour, immediately to strengthen the hands of not only the States but also the labour force of our country.

A large number of workers in the unorganised sector are home-based workers. Many of them are engaged in *bidi* making, *agarbatti* making, tailoring, and *zari* and embroidery work. Of course, the Government has constituted some welfare funds for *bidi* workers. But it is not up to the mark. The working and living conditions of the unorganised workers still remain very pathetic.

Today, I find that the social security scheme for the unorganised sector is in the backburner. What is the reason for it? If funds crunch is the main reason, why can't the UPA Government, which always speaks loud in favour of the 'a*am admi',* not provide funds for this cause? In this scheme, in 2003-04, a sum of Rs. 13.30 crore was provided. And very peculiarly, in the next year, that is in 2004-05, it came down to Rs. 13 crore. I expect that the Minister would let us know as to how much money is being provided for in the year 2005-06.

Sir, it is high time that the rights of the unorganised rural workforce, especially the agricultural workers, are legalised. They have been legalised in two States – Kerala and Tripura. They have enacted laws in this respect. In Kerala, it was, I think, done in 1974 and in Tripura in 1986. Of course, there may be a legal problem in having a national law. If the Central Government comes out with a scheme or a Bill, we have to take the consent of the different States. If that is the reason, at least, you come out with what scheme you have, what type of provision you want to make in the law and find out which are the States that are falling back.

At the same time, I would like to mention here that farmers are committing suicide in different parts of the country. The major problem is that it is committed by big farmers. The farmers who have

only one seasonal crop a year are not committing it. It is the farmers who have gone in for cash crops, who have taken high amounts of loan from banks are forced to commit suicide.

Another aspect, the humanitarian aspect is also there. That is, the agricultural produce is not being marketed at the appropriate rate. That kills the incentive and discourages him to such an extent that he not only ends his life, but the whole family also indulges in suicide. The banks are unable to provide adequate amount to rejuvenate him to go in for farming again. This is creating another type of a problem.

That is why, the debt trap which a farmer falls into, should be looked into, and a composite scheme should also be made for the farmers as also for the agricultural labourers.

सभापति महोदय : श्री राम कृपाल यादव। क्या आपने अपनी सीट बदल ली है?

श्री राम कृपाल यादव : मैं अपने स्थान पर ही हूँ।

सभापति महोदय : ठीक है। आप बोलिये।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वि- ाय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं श्री पी.के.वासुदेवन नायर जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने आज प्राइवेट मैम्बर्स बिल के माध्यम से कृाि क्षेत्र में कामगारों को राहत के विाय पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मैं भी अपने कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूं कि आज कृाि क्षेत्र में कामगारों की क्या स्थिति है।

महोदय, कहा जाता है कि भारत एक देश कृाि प्रधान देश है और हमारे देश की 70-75 प्रतिशत आबादी खेत-खलिहानों पर निर्भर करती है। आज़ादी के 57-58 साल के बाद भी किसानों की दशा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। किसानों पर ही सब कुछ निर्भर करता है। अगर किसानों की हालत ठीक रहेगी तो खेत मजदूरों को मजदूरी ज्यादा मिलेगी और उनकी स्थिति भी सुधरेगी। दुर्भाग्य की बात है कि जैसे-जैसे हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ता गया, बहुत सारी जगहों पर हम अच्छे स्थान प्राप्त कर रहे हैं, देश और दुनिया में हमारा स्थान बहुत अच्छा रहा है, मगर जिस प्रकार हमने दूसरे क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया, उस प्रकार हमने खेत-खलिहानों की ओर ध्यान नहीं दिया। यदि हमारा ध्यान खेत-खलिहान की ओर गया होता तो निश्चित तौर पर जो छोटे और मझौले किसान हैं और उनसे जुड़े हुए जो मजदूर हैं, उनकी हालत सुधर गई होती।

महोदय, मैं यह देखता हूँ कि अभी तक जितनी भी सरकारें आईं, सब लोगों ने खेत-खलिहान और मजदूरों की बात की, पर उनकी तरफ जो ध्यान देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। आज भी आप गांवों के हालात देखिये, आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां आप जा नहीं सकते हैं, किसी सवारी से नहीं जा सकते, पैदल भी नहीं जा सकते। आज भी गांवों के हालात देखिये, कितनी दुर्दशा है गांवों की।

16.00 hrs.

सभापति महोदय, पानी का अभाव है, स्कूलों का अभाव है, सड़कों का अभाव है और बिजली का अभाव है। किसानों की इमेज बदलती जा रही है। खेत-खलिहान में काम करने वाले जो किसान हैं, ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please resume your seat for a while.

Hon. Members, the time allotted for this Resolution is over. We have a number of Members to speak on this Resolution. If the House agrees, the time for this discussion may be extended by another one hour?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): In that case, the House will sit up to 8.00 o"clock because after this we have to take up the Private Members" Bill for which two and a half hours are allotted.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We can resume the discussion on the Bill and then continue in the next Session.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We have extended the time for this particular Resolution and not the time of the House.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जिस पर बहस चल रही है। इस पर बहुत से सम्मानित सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि वाद-विवाद के लिए एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए।

MR. CHAIRMAN: As per the arrangement, the House has to sit up to 7.30 p.m. No decision has been taken to extend the sitting of the House beyond 7.30 p.m.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SURESH PACHAURI): Discussion on this Resolution will continue up to 5.00 o"clock and thereafter the House will take up Private Members" Bill.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : It is all right then.

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, मैं बता रहा था कि किसानों की हालत बहुत ही खराब है। उनकी ओर आज तक पूरे तौर पर ध्यान देने का काम नहीं किया गया है।

महोदय, सभी लोगों का संगठन है, लेकिन किसानों का कोई संगठन नहीं है। नेताओं का संगठन है, कर्मचारियों का संगठन है, मजदूरों का संगठन है, दुकानदारों का संगठन है, लेकिन खेती में काम करने वाले मजदूरों का कोई संगठन नहीं है और न ही किसान संगठित हैं। किसानों के संगठित नहीं होने का फायदा सभी लोगों ने उठाने का काम किया है। अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि लगभग 10 करोड़ से भी अधिक असंगठित किसान हैं। मैं उन असंगठित किसानों की ओर आपका ध्यान आकर्िात करना चाहता हूं। इन असंगठित किसानों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। वे लोग बड़े पैमाने पर दिनभर मेहनत करते हैं। चाहे फिर धूप हो, पानी हो, आंधी हो, ठंड हो, दिन हो या रात, बहुत कठिन मेहनत करते हैं। उनकी मजबूरी यह है कि उनकी गरीबी इतनी अधिक है, यदि वे खेतों में काम नहीं करें, तो वे अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाएंगे। आज भी ऐसे अनेकों किसान और मजदूर हैं, जो दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं।

महोदय, धीरे-धीरे किसानों की संख्या कम होती जा रही है। जो पहले 10 एकड़ जमीन का मालिक था, वह जनसंख्या वृद्धि के कारण जमीन बंटने से खेतिहर मजदूर की श्रेणी में आ गया है। फिर चाहे बड़ा किसान हो, मंझोला किसान हो या छोटा किसान हो, वह आज खेतिहर मजदूर की श्रेणी में आ गया है और दिन भर कमाने के बावजूद वह अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी नहीं दे पाता है, कपड़े की व्यवस्था नहीं कर पाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाता तथा रहने के लिए आवास की व्य वस्था नहीं कर पाता है। हमें अपने संविधान के अन्तर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि जो इस देश में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए सरकार, पीने के पानी की व्यवस्था कराएगी, उनके लिए सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था कराएगी, उनके लिए सरकार घर की व्यवस्था कराएगी, लेकिन इन बेसिक अमैनिटीज की व्यवस्था गांवों में आज तक नहीं हो सकी है और उन्हें उपलब्ध कराने की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है।

महोदय, वैसे तो पूरे देश में असंगठित किसानों और खेतिहर मजदूरों की दयनीय स्थिति है, लेकिन मैं इस बारे में अपने प्रदेश, बिहार की ओर आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्िात करना चाहता हूं वहां प्रति र्वा 30 लाख खेतिहर मजदूर रहे हैं।

चूंकिञ बिहार की हालत ठीक नहीं है तथा कहीं बाढ़ है और कहीं सुखाड़ हो जाता है। इस कारण यदि वे दूसरे प्रदेशों में जाकर काम न करें, तो उनको रोटी मिलनी भी मुश्किल हो जाएगा।

खेतिहर मजदूर बड़े पैमाने पर पंजाब, हरियाणा, कश्मीर और असम, हर जगह जाकर अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए काम करते हैं और किस तरह से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। वैज्ञानिक युग आ रहा है और ये कह रहे हैं कि हम इस वैज्ञानिक युग में ट्रैक्टर और दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे। पहले जहां खेत में काम करने वाले दस मजदूर थे, वहीं अब एक मजदूर उस काम को कर रहा है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसे हम रोकने का उपाय नहीं कर रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल न कीजिए। अगर देश उन्नति करेगा तो किसान भी उन्नति करेंगे, मगर ट्रैक्टर के इस्तेमाल से वे हाथ बेकार हो रहे हैं। पहले हल चलाया जाता था, मैं यह नहीं कहता कि आप ट्रैक्टर के माध्यम से काम न करें, मगर ऐसा कोई उपाय निकालें, ऐसी कोई व्यवस्था करें ताकि इस वैज्ञानिक युग में भी उन्हें काम मिल सके, उनकी बेरोजगारी कम हो सके। इसकी चर्चा इसमें की गई है। अगर इसी तरह बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो निश्चित रूप से किसान, खेतिहर मजदूर आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे।

महोदय, आज किसानों का खेती के प्रति आर्काण घटने का मुख्य कारण यह है, आज जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, खेत-खलिहान में जो बीज एवं खाद डाली जाती है, उसकी कीमत इतने जोरदार ढंग से बढ़ रही है, लेकिन उसका रिटर्न उन्हें नहीं मिल रहा है। उन्हें अपने उत्पादित अनाज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वे किसी तरह बैंकों और महाजनों से कर्ज लेकर अपने खेत में इनवैस्ट कर रहे हैं, मगर खेत में उत्पादन होने के बाद जब वे बाजार में बेचने जाते हैं तो उसका उन्हें उचित दाम नहीं मिलता। वे कर्जदार हो गए, अब बैंक इंटरैस्ट माफ नहीं करेगा, महाजन से जो पैसा लिया है, वह कर्ज माफ नहीं करेगा तो उन्हें मजबूरीवश आत्महत्या करनी पड़ेगी। आप ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए ताकि खेतीहर मजदूर, किसानों को आप कर्ज देने का काम कर सकें। आप उन्हें कम रेट पर कर्ज देने का काम कीजिए, आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने कोशिश की है कि खेत और खलिहान तथा किसानों की तरफ ध्यान देंगे। हमारा जो इनवेस्टमेंट है, आपने प्रतिशत बढ़ाया है, वर्तमान यूपीए सरकार ने 38 प्रतिशत किसानों के लिए अपने बजट में कृाकों के लिए व्यवस्था की है, मैं मानता हूं कि यह पर्याप्त है, लेकिन आप इसे 50 प्रतिशत करने का काम करें। आप बैंकों से कर्ज लेने जाइए, आप एहसास कीजिए कि लोगों को कितनी तकलीफ होती है। बैंक में कितनी करप्शन है, वहां बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो पाता है। महोदय, आप खुद इस बात का एहसास करते होंगे, क्योंकि आप काफी दिनों से जनता के प्र ातिनिधि हैं। आप जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को आपने देखने का काम किया है। हजार रुपए कर्ज लेने के लिए 500 रुपए घूस देनी पड़ेगी, तब भी आपको कर्ज नहीं मिलेगा। चप्पल घिस जाएगी, बैंक के मैनेजर के पास आना-जाना लगा रहेगा, मगर बिना पांच-दस प्रतिशत कमीशन दिए हुए आपको लोन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। आपने इतनी फोरमेलिटीस कर रखी है - एक आम गरीब किसान, खेतिहर मजदूर आपकी फोरमेलिटीस को पूरा नहीं कर पाएगा, उसे लोन नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप आसान तरीके से उसे कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ताकि किसान अपना जीविकोपार्जन कर सके, इनवैस्टमेंट करा सके। यह व्यवस्था करनी पड़ेगी, अधिक से अधिक आपके नीति-निर्धारण में होना चाहिए कि हम किसानों को इतनी राशि आबंटित करेंगे। जब तक खेत और खलिहानों में खुशहाली नहीं आएगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है।

महोदय, बहुत से लोग बहुराट्रीय कम्पनियों की चर्चा कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी कम्पनियां हैं।

बहुत सारी कम्पनियां आकर यहां हमारे रोजगार पर असर डाल रही हैं। अब बहुराट्रीय कम्पनियों से आप एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम बाहर से चीजें मंगाएंगे। यहां नीतियां बन रही हैं, बाहर से फल, सेव, चावल, चीनी आ रहे हैं, सारा कुछ बाहर से लाने की व्यवस्था आपने खोल दी है। अगर इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी उपजी हुई जो सामग्री है, आपकी वह सामग्री पड़ी रहेगी। आप बाहर से लाएंगे, क्योंकि उनका कम रेट है। हमारे किसान उस प्रतियोगिता में सफल नहीं हो रहे हैं और हमारा सामान वहीं बच रहा है और विदेशी सामान की खपत हो रही है। भारत आज एक बाजार बनकर रह गया है। भारत की एक अरब से अधिक की आबादी है, इस आबादी में खपत नहीं हो रही है। आप ऐसी पालिसी बनाने का काम करें, हम इतने सक्षम हैं, भारत के गांव के किसान और मजदूर इतने सक्षम हैं कि इतना अधिक उपज पैदा कर सकते हैं कि हम दूसरे देशों को खिलाने का काम कर सकते हैं, यह हमारी क्षमता और कूवत है।

हमारी बहुत सारी जमीन असिंचित पड़ी रहती है, हम उसमें सिंचाई की व्यवस्था करें। हमारा दुर्भाग्य है कि बहुत सारे इलाके में प्र ााकृतिक आपदाएं आती हैं, कल से ही इसकी चर्चा सदन में हो रही थी। जिस तरह से कभी ओलावृटि हो जाती है, जिस तरह से बाढ़ आ जाती है, जिस तरह से सुखाड़ आ जाता है, इन सब चीजों का हमें मुकाबला करना पड़ेगा, जमीन को सिंचित बनाना पड़ेगा। सैंकड़ों वाों से कई नहरें ऐसी हैं, जिनकी आपने उढ़ाई कराने का काम नहीं किया है। वे नहरें कहीं से टूट गई हैं, कहीं भर गई हैं, उनकी उढ़ाई करने का काम करें। सिंचाई की समुचित व्यवस्था करने का काम करें, पर्याप्त मात्रा में ट्यूबवैल देने का काम करें। अगर आप ट्यूबवैल नहीं दीजिएगा तो किसान पानी कहां से ले पाएगा।

मैं समझता हूं कि आप खाद की कीमत नियंत्रित करें, बीज को नियंत्रित करने का काम करें। इन सब चीजों की तरफ अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो किसान खुशहाल नहीं हो पायेगा। …(व्यवधान) मैं पांच मिनट और बोलूंगा।…(व्यवधान)

सभापति महोदय : सिर्फ दो मिनट।

श्री राम कृपाल यादव : दुर्भाग्य है कि जब मैं बोलता हूं तो समय उसी समय निर्धारित हो जाता है। इस नियम के तहत तो जितना जो बोल सकता है, बोलता है, मगर हमारे लिए आपने टाइम तय कर दिया।

सभापति महोदय : इस विाय पर बहुत स्पीकर्स हैं।

श्री राम कृपाल यादव : मैं आपसे कह रहा था कि किसानों की खुशहाली के लिए सरकार को विशेा तौर पर व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो असंगठित मजदूर हैं, जिनकी चर्चा हम विशेा रूप से कर रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था कीजिए। आज सारे किसानों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, आप उनके लिए ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हॉस्पीटल में उनका मुफ्त इलाज हो सके। डाक्टर्स गांवों में तो जाते ही नहीं हैं। एक भी डाक्टर गांव में नहीं जाता है, सब शहर में प्रैक्टिस करने का काम करते हैं तो आप इसे एन्श्योर करवाइये ताकि गांव में इलाज की व्यवस्था हो सके।

बच्चों की पढ़ाई गांवों में नहीं होती, जिसके बाप-दादा मजदूर थे, वह भी आज मजदूर है। कैसे इस व्यवस्था में परिवर्तन हो पाएगा, कैसे सामाजिक न्याय की बात आप कर पाएंगे? गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो किसी खास वर्ग और तबके के बच्चे ही पढ़कर आगे बढ़ते रहेंगे क्या? इस तरह उनको न्याय नहीं मिल सकेगा तो आप इसके लिए समुचित व्यवस्था कराइये और उनको अधिक से अधिक स्कूल देने का काम कीजिए। उनके बच्चों को मुफ्त पढ़ाने की व्यवस्था करने का काम कीजिए। यह व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी।

मजदूरों की एक्सीडेंटल डैथ होती है, मजदूर मर जाते हैं, बिहार के मजदूर बाहर जा रहे हैं, जैसी मैंने चर्चा की, वे पंजाब में जाते हैं, असम में जाते हैं, उनका आप जीवन बीमा करवाइये। आपने व्यवस्था उपलब्ध कराई है, मगर आप अधिक से अधिक असंगठित मजदूर कवर हो सकें, इसकी व्यवस्था कराने का काम कीजिए ताकि सारे असंगठित मजदूर उससे बिल्कुल कवर हो जायें।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पैंशन योजना आप लागू कराने का काम कीजिए। आज तो स्थिति यह है कि किसान और मजदूर खेत और खलिहान में कम काम करना चाहते हैं, वे देखते हैं कि उनसे खुशहाल तो पान और चाय वाला है, जितनी कमाई पान और चाय बेचकर एक व्यक्ति काम लेता है, उससे कम पैसा मजदूर कमा पाता है। वह समझता है कि पान और चाय बेचना ज्यादा अच्छा है। अगर यही मानसिकता रही तो खेत और खलिहान में जो काम करने वाले मजदूर हैं, अगर वे दूसरी तरफ चले जाएंगे तो खेत और खलिहान में उपज कौन कराएगा। जब हमारे देश में उपज नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे। हमारे देश की 70 से 75 प्रतिशत आबादी खेत और खलिहान पर निर्भर कर रही है। यह गम्भीर समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो रही है, इसलिए खेत की तरफ आर्काण पैदा करना पड़ेगा, किसानों की तरफ आर्काण पैदा करना पड़ेगा।

नहीं तो देश आगे तरक्की नहीं कर सकेगा। हम साइंस और टैक्नोलाजी को आगे बढ़ाते रहें। हम रोज आकाश में जाते रहें लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। बहुत कम संख्या शहरों पर निर्भर करती है। हमारी बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती है। आज इतने वाों के बाद भी हमें शर्म आती है कि हम पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं करा सके हैं। यूपीए सरकार ने प्रयास किया है और अब मिशन चला रहे हैं। राजीव गांधी पेयजल के नाम से पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की बात कही है। आज भी जब आप गां व में जाएंगे तो आपको लज्जा आएगी कि खेत शौच के लिए हमारी मां और बहनों को रात में क्यारियों में बैठा रहना पड़ता है। हम लोगों को खुद शर्म आती है। अगर देश के खेत और खलिहान, गांव और मजूदर की तरक्की करनी है, अगर देश की तरक्की

करनी है ओर देश के आगे बढ़ाना है तो किसान पर और खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर की तरफ हमारा ध्यान ले जाना पड़ेगा। अन्यथा देश की तरक्की नहीं हो सकती है और देश की बहुत बड़ी आबादी गांवों में बसती है और खेती पर निर्भर करती है। जो हाथ बेकार होते जा रहे हैं उन हाथों को काम देना होगा और रोजगार की गारन्टी देनी होगी। तभी मैं समझता हूँ कि हमारा देश तरक्की करेगा। हम देश और खेत, खलिहान को खुशहाल नहीं करेंगे, मजदूर और किसान को खुशहाल नहीं करेंगे, उनके बच्चों की तरफ ध्यान देने का काम नहीं करेंगे, उनके लिए स्वास्थ्य और पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है और अगर हम गांव की खुशहाली चाहते हैं तो हमें किसानों और मजदूरों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विाय पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद) : किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और भारत कृाि प्रधान देश है। हमारे देश की करीब 70 फीसदी आबादी गांवों में रहती है, जो कृाि पर निर्भर करती है। गत् 12 वाों में किसान की हालत बद से बदतर हो गई है। किसान भूखों मरने की कगार पर पहुंच गया है। जहां एक ओर किसान महामारी, ओलावृटि और सूखा आदि से पीड़ित है, वहीं दूसरी ओर किसान सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों की वजह से भी पीड़ित है। किसान कर्जे के बोझ से लदा हुआ है। अंधी प्रशासनिक नीति के कारण जहां हमारे देश में व्यापारी, उद्योगपति लोगों पर करोड़ों का बकाया होने के बावजूद भी वह शान से घूमता है। उसको ज्यादा से ज्यादा दिवालिया घोाित कर दिया जाता है और दूसरी फर्म के नाम से ऋण लेने में सफल हो जाता है । दूसरी ओर किसान पर हजारों-लाखों का कर्ज होता है तो वही बैंक कर्मचारी उनके घर के चक्कर लगाते हैं । किसानों को बेइज्जत किया जाता है । उनके टैक्टर, उनके बर्तन तक उठा कर ले जाते है । इस दोहरी नीति से किसानों को मुक्ति मिलनी चाहिए । उसे सस्ती दर पर ऋण मिले और ब्याज से मुक्ति मिले । आपातकाल की स्थिति जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृटि की स्थिति में फसल नट होने पर ब्याज माफ किया जाए एवं कर्जे की वसूली न की जाए तथा उनकी फसलों का बीमा किया जाए । वर्तमान में राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा और अन्य कई प्रदेशों में वाा और ओलावृटि से किसानों की फसलें नट हो गई हैं । इन क्षेत्रों में किसानों को आर्थिक मदद के साथ-साथ नुकसान का मुआवजा भी दिया जाए । मेरी सदन से अपील है कि कृाि को उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि कृाि पर निर्भर 70 प्रतिशत आबादी का भविय सुरक्षित हो सके । " किसानो को ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर के स्पेयर पार्टस जो कृाि कार्य का प्रमुख साधन है पर Excise duty एवं Sales Tax माफ किए जाएं ताकि हर किसान को ट्रैक्टर खरीदना संभव हो सकेगा। " कृाि पर लगे मजदूरों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके । सरकार की नीति किसानों के लिए लचीली होनी चाहिए । हमारे देश में किसान को एक लाख रुपये का कर्जा मुश्किल से मिलता है । कर्जा लेने के लिए उनको महीनों-महीनों तक बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं ।

किसानों को काफी कठिनाइयों के बावजूद भी ऋण नहीं मिलता। सरकार की ऋण नीति में समानता हो और गरीबों के लिए उदार नीति हो। बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर हजारों-करोड़ों रुपये का बकाया होता है लेकिन उनका कुछ नहीं होता। मैंने मेरठ और फरीदाबाद क्षेत्र में देखा है कि अगर किसानों के ऊपर दो हजार रुपये, पांच हजार रुपये का कर्ज भी होता है तो उनको लॉक-अप में बंद कर दिया जाता है। सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे किसान बच सकें। किसान अपनी फसल पर ही निर्भर करता है। जब उसकी फसल अच्छी होती है तब वह अपनी बेटी के हाथ पीले करता है। जब उसे गन्ने की फसल की पेमैंट मिलती है, तब वह अपनी बेटी के हाथ पीले करता है। कहीं किसानों की तीन फसलें होती हैं लेकिन कहीं पर उन्हें दो फसलों पर ही निर्भर करना पड़ता है। किसान के पास ऋण चुकाने के लिए हर महीने पैसा कहां से आएगा। जब किसान की फसल नट हो जाती है, उस सूरत में वह कर्ज कहां से दे सकता है। मैं सदन और आपसे कहना चाहूंगा कि यहां सब किसानों के नाम पर चुनकर आते हैं, इसलिए किसान के हित के लिए नीति बनाने के बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। किसानों की दशा सुधारने के लिए कोई नीति नहीं बनती। अगर इस देश में किसानों के हित में कोई नीति नहीं बनेगी तो यह देश कमजोर हो जाएगा। इस सदन में किसानों के नेता और किसानों के परिवार से आए हुए सांसद मौजूद हैं। अगर किसान बर्बाद हो जाएगा तो देश नहीं बचेगा। नीतिकारों को चाहिए कि किसानों के हित में नीति बनाने का काम करें। यूपीए सरकार ने अच्छी नीति बनाई लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसानों की अनदेखी हमेशा हुई है। किसानों को न ही समय पर ऋण मिलता है, न ही खाद मिलती है। आप देखते हैं कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को हजारों-करोड़ों रुपये का कर्ज रातों-रात टेलीफोन पर मिल जाता है लेकिन अगर कोई किसान अपनी फसल के लिए लाख, दो लाख रुपये का कर्ज लेना चाहे तो उसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, मैनेजर के दरवाजे पर चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी उसे कर्ज नहीं मिलता। जब तक वह बैंक के लोगों को रिश्वत नहीं देता, तब तक उसे पैसा नहीं मिलता। किसानों की फसल नट होने पर उन्हें मुआवजा ही नहीं मिले बल्कि उनका ऋण भी माफ हो, ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए। जो किसानों की पीड़ा नहीं समझते, उनकी मुश्किलें नहीं जानते, वे किसानों के लिए नीति तय नहीं कर सकते। इस देश में जब किसानों की पीड़ा जानने वाला किसान का बेटा कोई नीति तय करेगा तब इस देश का किसान

बचेगा। मैं चाहूंगा कि सदन के सभी सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर किसानों के हित में नीति बनाने की बात सोचें ताकि किसान बच सके।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : सभापति जी, श्री पी.के. वासुदेवन नायर द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उस पर महत्वूर्ण चर्चा हो रही है। अनेक वक्ताओं ने देश के विभिन्न भागों की समस्याएं बताई हैं। अगर तटीय क्षेत्र का संबंध है तो वहां के किसानों की समस्याएं अलग हैं और अगर मैदानी क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा आदि उत्पादक क्षेत्र हैं, तो उनके किसानों की अलग समस्याएं हैं। इन समस्याओं पर विस्तार ने न जाकर कल से हिमालय क्षेत्र की चर्चा यहां पर हुई है। अब यह चर्चा प्राकृतिक आपदा के संबंध में आयी थी। हिमालय जो एक पर्वतीय क्षेत्र है, उस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृट करना चाहूंगा। वहां कृाकों की समस्याएं भिन्न प्रकार की हैं। वहां कृाि योग्य जो जोत है, वह बहुत छोटी है, सीढ़ीदार खेत हैं। वहां किसानों के पास कृाि भूमि एक एकड़ से अधिक नहीं है। दूसरे, किसानों के सामने काफी समस्याएं आती हैं जिसके कारण उनका पलायन तेजी से हो रहा है। वहां किसानों को कृाि उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। इसके अनेक कारण हैं, उसमें मैं बाद में आऊंगा। कृाि के अलावा वहां कोई उद्योग, उद्यम, रोजगार या कारखाना नहीं है। वे एकमात्र कृाि पर ही आधारित हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत फल-फूल, साग-सब्जी और पशु पालन पर आधारित रहकर अपना गुजारा करते हैं।

इस देश के भीतर विशो तौर पर मैं उत्तरांचल का जिक्र करूंगा जिसकी मुझे अधिक जानकारी है। जो नया राज्य उत्तरांचल बना है, उसके नौ पर्वतीय जिले हैं और तीन मैदानी क्षेत्र हैं। पर्वतीय जिलों में लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित हैं। हमारे यहां वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। उसके पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 पहले से लागू है। इसके तहत जंगल के भीतर जो जानवर हैं, उनका वध करना अपराध है। उस पर्वतीय क्षेत्र में जितने गांव हैं, उनकी खेती जंगल से लगी हुई है। चारों और जंगल और जंगल के बीच में वह ग्रामवासी जिन्हें मैं वनवासी मानता हूं, वे उन जंगलों में खेती का काम करते हैं। उनके छोटे-छोटे खेत हैं। उन जंगलों में जो पशु हैं खासकर सुअरों की आबादी वन्य जीव अधिनियम आने के बाद काफी बढ़ गयी है। सुअरों के झुंड के झुंड फसल खाकर उसे बर्बाद कर देते हैं।

<u>16.28 hrs</u>. (Dr. Laxminarayan Pandey *<u>in the Chair</u>*)

इस कारण लोग खेती छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब इसको कैसे रोका जा सकता है, यह बहुत ज्वलंत ि वाय है। रात में सुअर और दिन में बंदरों की संख्या उनकी फसलें खराब करता है। बंदरों की संख्या भी उसी हिसाब से बढ़ रही है क्योंकि जंगल और गांव के बीच कोई बेरीकेटिंग नहीं है। सुअर हिंसक भी है। किसान सुअरों के झुंड को नहीं रोक सकता। वह अपनी बर्बादी को सामने खड़ा होकर देखता रहता है।

इसी के साथ-साथ ओलावृटि का विाय भी आया है। ओलावृटि से पर्वतीय क्षेत्र अछूता नहीं रहता। मार्च-अप्रैल में ओलावृटि होने से फसल का नुकसान होता है। यदि बागवानी का काम होता है, तो फल-फूल का भी नुकसान होता है। अभी इस हफ्ते जो ओला वृटि हुई है, उससे बहुत बड़ा नुकसान उत्तरांचल क्षेत्र में हुआ है। तीसरे, वहां की उपज या खेती लाभकारी नहीं है। अगर किसान थोड़ा बहुत सब्जी-फल पैदा करता है तो उसे वे बेचने के लिए कहां ले जाये क्योंकि मंडी तक जाने के लिये सड़क नहीं है। प्रधान मंत्री सड़क योजना का कार्यक्रम शुरू हुआ है। मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है लेकिन हमारी समस्या उसमें भी अटकी हुई है। वन संरक्षण अधिनियम यह इजाजत नहीं देता कि पर्वतीय क्षेत्र में जंगल से बाहर गांव तक पहुंचे। वह किसान पैदल 10-20 किलोमीटर मजदूरी करके या खुद मजदूर बनकर जाता है तो उसको भाड़े और दिन का जो खर्चा आता है, वह भी उसी में जुड़ जाता है। उसे बिक्री से कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा यहां लैंड स्लाइड और क्लाउड बर्स्ट का फिनॉमीना पिछले एक दशक से बन गया है। पहले ये परिस्थितियां नहीं होती थीं।

पुराने लोगों का कहना है कि ये क्लाइमेट चेंज का सारा सवाल आ रहा है, जिसके कारण यह लगातार बादल फटने की घटनाएं, लैंड स्लाइड की घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण खेतों में मिट्टी आ जाती है और चट्टानें आ जाती हैं। इसके कारण भी किसान बूरी तरह से प्रभावित हुए हैं और फसल का नुकसान तो होता ही है। वहां के किसानों के लिए एक दिक्कत और है कि वे ट्रैक्टर से खेती नहीं कर सकते हैं। उनके लिए वही हल और वही पुराने समय के उपकरण यानी छोटा हल चाहिए जिसको लेकर उसे छोटे-छोटे खेतों में खेती करनी है। उसके लिए उसको लकड़ी नहीं मिलती है। वन्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हरा पेड़ आप काट नहीं सकते हैं। बिना हरा पेड़ काटे हुए हल और औजार बन नहीं सकते। इस प्रकार से चारों ओर से संकट से वहां का

किसान, काश्तकार घिरा हुआ है। किसान का यह है कि कभी थोड़ी बागवानी कर ली। इस प्रकार से भिन्न-भिन्न कार्य करके कुल आमदनी होती है, उसी से उसका परिवार चलता है। जहां तक उसके पशु धन का सवाल है, पशु धन में भी नस्ल सुधार का कार्यक्रम जो होना चाहिए था, वह नही हुआ है। मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा कि एक एम्ब्रायो ट्रांसफर टैक्नोलॉजी का कार्यक्रम शुरू हुआ था। मैंने अपने समय में स्वीकृति दी थी और इस काम को तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि जो वर्तमान नस्ल है, उसमें सुधार हो और दूध की मात्रा में भी बढ़ोतरी हो।

अब सवाल यह आता है कि किसान की मदद कैसे की जाए। जंगली सुअर और बंदर के आतंक से जो किसान की फसल बर्बाद होती है, उसका विकल्प क्या हो सकता है ? विकल्प इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे नीलगाय पर पहले प्रतिबंध था और नीलगाय को खेती के हित को ध्यान में रखते हुए संरक्षित पशुओं की श्रेणी से निकाल दिया गया था। उसी तरह से सुअर की प्रजाति को भी सूची से बहाल किया जा सकता है क्योंकि उसकी आबादी बहुत बढ़ गई है। कम से कम रात में जो नुकसान होता है, उससे किसान बच सकता है और दिन में बंदर को तो भगाया जा सकता है। पिछली सरकार में खेती के क्षेत्र में कुछ अच्छे कार्यक्रम हुए और इस बात को यूपीए के मित्र भी स्वीकर करते हैं। हमारे पूर्व कृगि मंत्री श्री अजित सिंह जी भी मौजूद हैं। सरकार को अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, जैसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसको आगे बढ़ा रहे हें और आगे बढ़ाना चाहिए।

जो फसल बीमा योजना है, यह पहला कांसेप्ट था कि किसान के बारे में एक सोच थी। अगर उसमें कहीं खामियां हैं तो उनमें ठीक तरह से सुधार करना चाहिए। फसल बीमा लगभग तीन करोड़ किसानों को रिकार्ड समय में दिया जा चुका है। लगभग 90 हजार करोड़ रुपये का फाइनेंस हुआ था, बड़ी अच्छी प्रक्रियाचली है और माननीय मंत्री जी इसे पूरा करा रहे हैं। उसकी ब्याज दरों में और कितनी गुंजाइश की जा सकती है, इसको देखते हुए, जैसे किश्त की बात आई थी कि आसानी से कि क्या माहवार होनी चाहिए या त्रिमाही होनी चाहिए या फसल की बिक्री का समय तय किया जाए। दूसरा, फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड ये दो ऐसी योजनाएं थीं, जिनकी सराहना की जाती है, लेकिन फसल बीमा में हमारे लिए समस्या यह आ रही है कि फसलों का तो बीमा हो रहा है लेकिन जो फल है, जो ओले से नट हो जाते हैं, फल और फूल इनके लिए कोई व्यवस्था इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा साइंस एंड टैक्नॉलोजी मंत्रालय से जिरेनियम की खेती पर्वतीय क्षेत्रों में शुरू की जाए। इसको न बंदर नुकसान पहुंचा सकता है और न सुअर नुकसान पहुंचा सकता है। मैं नहीं समझता कि वन्य सुरक्षा अधिनियम में अब कोई परिवर्तन आएगा। हमें यह विचार करना चाहिए कि इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसकी मियाद खत्म हो रही है। इसी तरह से हॉर्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन के रूप में इसे शुरू किया गया था और 80 करोड़ रुपये अकेले उत्तरांचल को मिले। लेकिन उसकी टर्म भी इस वित्तीय र्वा में खत्म हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसका अच्छा परिणाम आ रहा है और हम ऑरगेनिक खेती को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। इसके अलावा फूड प्रोसैसिंग का प्रावधान है। इसकी यूनिट छोटे-छोटे इलाकों में लगाई जा सकती है ताकि रोड ट्रांसपोर्ट की समस्या से निजात मिल सके नहीं तो उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिल सकता है। इस तरह की वैल्यू एडीशन होकर किसान को अच्छा मूल्य मिल सकता है और उसकी सफल खेती हो सकती है।

इसके अलावा अगर हम किसान के हित में देखें तो वन संरक्षण अधिनियम के कारण सड़कें बनाने में जो रूकावटें आ रही हैं, उसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि यह पूरा पर्वतीय क्षेत्र बार्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, खासकर उत्तरांचल जो नेपाल से लगा हुआ है, विशे रूप से सेन्सिटिव हो गया है और माओवाद से सम्बन्धित कई घटनाएं वहाँ हो चुकी हैं, ट्रेनिंग कैम्प भी पकड़ा गया है। इस एप्रोच को लेकर अगर वन संरक्षण अधिनियम में आवश्यक संशोधन करना पड़े तो निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कि वास्तव में आवश्यक है। किसान का उत्पादित माल सही समय पर मण्डी तक पहुंच सके और फिर जो PURA अर्थात प्रॉविजन ऑफ अर्बन एमेनिटिज इन रूरल एरिया का कार्यक्रम है, अब धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। यह माननीय राट्रपति जी का कांसेप्ट था और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी कांसेप्ट था कि ग्रामीण क्षेत्र से होने वाले पलायन और बेरोजगारी को रोकने के लिए हम लोगों को वहीं गांवों में ही उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इस दिशा में भी मेरी मांग है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए।

APEDA के माध्यम से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करने के लिए जो एक्सपोर्ट जोन्स बनाए गये हैं और अभी कुछ फसलों जैसे बासमती, फूलों, लीची आदि का विदेशों में निर्यात हो रहा है, उसमें और आइटम जोड़ने की आवश्यकता है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। मैं बीजों के विाय में मेरी कुछ चिन्ता है क्योंकि बीजों के विाय में अभी हमने पेटेन्ट एक्ट को दोनों सदनों पारित किया है और अब एग्रो कैमिकल, फूड और फार्मास्युटिकल्स - तीनों ही क्षेत्र प्रोडक्ट पेटेन्ट में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा अब सीड्स बिल भी लाया जा रहा है और परम्परागत रूप से हमारे किसान जो बीज उत्पादित कर रहे थे, निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई आने वाली है। उसके लिए कौन सा मार्ग अपनाया जाए, सरकार को इस पर

भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। प्रायः हम कहते हैं कि भारत कृाि प्रधान देश है। यह केवल एक या दो किसानों की बात नहीं है, बल्कि करोड़ों किसान जो कृाि पर निर्भर हैं, उनके लिए एक गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।

कृाि विविधीकरण या डाइवर्सीफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का जो कार्यक्रम है इसे पिछली सरकार ने शुरू किया था। यह कार्यक्रम विश्व बैंक की मदद से चलाया जा रहा है लेकिन इसकी मियाद खत्म होने जा रही है और अभी इसके अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं क्योंकि लोगों को अभी उतनी ट्रेनिंग और जानकारी नहीं है। जब भी हम ट्रेनिंग या हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन का काम करें या कृाि विविधीकरण की योजनाएं चलाएं, वहाँ जब तक काश्तकार विधिवत प्रशिक्षित न हो जाएं, उसे जारी रखा जाए और उसको रिफ्रेशर कोर्स के रूप में ऐसे हर क्षेत्र में चलाया जाना चाहिए। ये कार्यक्रम क्षेत्र विशेा की उपजों के अनुरूप होना चाहिए। श्री राम कृपाल यादव जी ने अभी साइन्स और टेक्नोलॉजी की बात कही थी, लेकिन साइन्स और टेक्नोलॉजी का मतलब केवल हवाई जहाज बनाना ही नहीं है, बल्कि कृाि के क्षेत्र में भी विज्ञान का उतना ही दखल है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा दिया था, उसमें यही भावना थी। इस प्रकार अब हमें एक स्वर्णिम त्रिभुज है - तीन लक्ष्य हमारे सामने हैं। उस विज्ञान के जरिए हम न केवल रक्षा के क्षेत्र में बल्कि कृाि के क्षेत्र में भी विकास करना है। अभी आपने खाद्य सुरक्षा की बात कही है। वाि 2003 में जो साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाई गयी, उसमें प्रमुख रूप से देश की फूड सिक्योरिटी पर जोर दिया गया है और उसकी उद्देश्यिका में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। मैं यहाँ उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। हमारा जो शोध क्षेत्र है, उसमें भी विस्तार होना चाहिए तकि हमारे यहाँ नए बीजों की दिशा में होने वाली अनुसंधानों को इस देश की कंपनियाँ और काश्तकार पेटेन्ट करा सकें सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग करता हूँ कि आप उदारतापूर्वक विशेा रूप से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत और बागेश्वर जिलों में ओला वृाि से जो नुकसान हुआ है, उसके लिए उदारतापूर्वक सहायता देंगे।

उस पूरे क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है। मंत्री जी उदार हैं, वह निश्चित रूप से इस तरफ ध्यान देंगे और राहत देने का काम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि देश में ऐसी नीतियों का निर्माण होगा, जिससे देश के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर न होना पड़े.

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRIMATI D. PURANDESWARI (BAPATLA): Mr. Chairman, Sir, I rise to take part in the discussion on the Resolution that was moved by Shri Vasudevan Nair on the unprecedented crisis in agrarian sector which has resulted in debt trap, unemployment and poverty of the farmers.

Sir, this very fact that this has been debated for so many hours and for so many days on the floor of this House and the very fact that so many speakers have risen and gone beyond political and party lines to discuss this subject only reiterates and re-emphasises the importance of this subject and I am very happy to be a part of such an important debate here.

We are all very well aware that last year the agrarian sector had recorded a very meagre and marginal growth of 1.1 per cent and to attain a GDP growth of eight per cent and to talk of poverty alleviation with such a marginal and meagre growth seems a very distant dream.

We are all very well aware that ours is an agrarian economy and 70 per cent of our people live in the rural areas and are still dependent on agriculture. There are many reasons that affect the lives of the farmers and so much has been spoken in detail. So, I would not want to go into everything in detail here. But there are still some grey areas that I would want to touch and bring to the notice of the Minister here.

In the first place, talking about water resources, we are all very well aware of the fact that our farmers are still slaves to the monsoon mandate and we know that the monsoons have left on a very dismal note. We have faced a deficit rainfall of about 13 per cent. When it comes to sharing of the

river water, we have so much of inter-State water disputes in our country. For example, let us take the case of Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh we have the Krishna river water dispute. The water of river Krishna has been shared by three States, namely Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. We have had the Bachawat Tribunal which has divided the water between three States. However, the Bachawat Tribunal is yet to sit again since 2002 and till date they have not sat across the table and they have not reshuffled the water ratio as yet. For every State, the requirements and the needs of the State are changing and there is every necessity that tribunals like this to get together periodically, at regular intervals and to again re-rationalise the sharing of river waters.

Then, there should also be some kind of restriction on the indiscriminate and unscientific digging of bore-wells because sinking of each bore-well is very expensive and costs every farmer somewhere around Rs. 20,000 to Rs. 25,000 and not every bore-well is a success because of which he is incurring a lot of expenses on this. This is also one of the reasons why he is caught in the debt trap or the debt cycle again.

Turning now to the spurious seeds, insecticides and fertilisers, they are still doing the rounds in the market and our Seed Act is yet to come to the House for consideration and passing. So, I think some action should be taken very fast on that.

Sir, in spite of talking so much about spurious seeds, the Government here is now going to revive the MoU or re-sign the MoU with Monsanto. It had earlier signed the MoU with them with regard to Bt cotton and we all know very well that Bt cotton has not been a success. The universities of Canada have been saying that Bt cotton is bull-worm resistant, but the ground reality has turned out to be very different. They have been subject to a lot of diseases and they have not been a success. Even our agricultural researchers agree that there is still a lot more study to be done on Bt cotton. Despite all this, we are again trying to re-introduce it in other States, knowing fairly well that in States like Andhra Pradesh it has not done very well. I think we need to review this all over again as to whether we want to re-sign it. We all know that Mahico is the company which is marketing the Bt cotton seeds in India. I think we need to review that again.

Sir, now I turn to marketing. Here the Minimum Support Price plays a very important part and the Government, time and again, has been failing to give the farmers the Minimum Support Price. There should be re-emphasis on this. There are certain crops and not all the crops that have the Minimum Support Price. There are certain crops that do have the Minimum Support Price and there are certain crops that do not have the Minimum Support Price, like the cash crops.

When it comes to the cash crops, they should have a minimum guarantee price wherein certain amount of money is allocated to the bodies wherein they can enter when there is a sharp fall in the prices and they could support the farmers in the prices of the cash crops.

Next is the Market Intervention Scheme, which is another area, where I would like to draw the attention of the hon. Minister. As per the rules of the Market Intervention Scheme, they say that if the acreage under cultivation is ten per cent more or if the price has dropped by ten per cent, it is only then that the Central Government bodies would come into the market and buy the product, thereby supporting the farmers. But, here, when we turn to the ground reality, there could be some areas wherein the acreage maybe just marginally more than what it was last year, but the production can be high. Like, for example, this year what happened in Andhra Pradesh is exactly that. The

acreage that came under chilly cultivation was marginally high, but the production was very high. Because of this over production, we had a sharp fall in the price of chilly. Today, the scenario in Andhra Pradesh is that chilly farmers are throwing their produce on the land and they are burning them. It is not very easy for a farmer to just throw his produce on the roads and burn them. Unless he is very hurt, he would not be doing it because we all know very well that it is his blood and toil that has gone into the production of this. I think, these are the grey areas that need to be concentrated on.

Next is the crop insurance scheme. There has been a lot of talk about the crop insurance and still, I do not know, why we have not brought the crop insurance down to the village level. I think, the village should be taken as a unit and it is there that the insurance should be done. Now, it exists on the Mandal level and when we talk of a Mandal, there are almost about 29 to 30 villages that exist in a Mandal. It is not necessary that one crop should do well in all the 29 to 30 villages. There may be some villages wherein some crop could do well and some crops do not do well. Then, there is no point saying that I am not going to give you the crop insurance since it has done well in the other villages. So, I think, the village, as a unit, should be taken into consideration and again the crop insurance should be reshuffled and reconsidered.

This crisis in the agrarian sector is not only having its effect on the farming community alone but it is also having effect on the dairy sector. If we go back to the old days, usually people considered themselves rich not taking into consideration the monetary assets that they had, but they always thought or considered themselves rich as they had lots of cattle and even lots of children. I think, today in the 21st Century, we are poor in both the ways. Either we have one or two children or the farmers in the villages do not have cattle properly. The reason being because they are not able to buy them and because they are not having any returns for their farm produce also.

Above all, there is also illegal trafficking of cattle foetus which is happening, especially in Ongole in Andhra Pradesh. The bulls of Ongole are very famous internationally also. The foetus of these bulls are marketed to Brazil and Africa, especially. This is resulting in a very sharp decline in our cattle numbers here and it is increasing in the other country. The pride which was ours till today is becoming the pride of some other country. This is another area which the Government needs to definitely concentrate on and necessarily consider.

Sir, I am very aware of the time constraint that I have and even before you ring the bell, I would like to conclude and thank you once again for having given me this wonderful opportunity.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I basically do not agree with the contention as hon. Member Shri Mohan Singh and other said that it is only because of the lack of rural credit that the farmer is committing suicide. I do not agree with this.

Sir, I was a member of the Fact Finding Mission that was sent by our Party to Andhra Pradesh to go into the details of the causes for the farmers committing suicide.

We met around 25 families whose earning members had committed suicide and asked the reason as to why their earning member had committed suicide. None of them said to us that they were lacking credit. The credit was available to them. … (*Interruptions*) The credit was not available from the nationalised banks or from the co-operative banks but they had got the credit from outside, from the

moneylenders at a very high rate of interest of about two to three per cent per month. … (*Interruptions*)

सभापति महोदय : श्री स्वाईं, आप पहले इस विाय में बोल चुके हैं।

श्री खारबेल स्वाईं : मैंने नहीं बोला।

सभापति महोदयः क्या आप इस संकल्प पर पहले बोले हैं?

श्री खारबेल स्वाईं : कब बोला हूं?

MR. CHAIRMAN: It is on record. Actually you had spoken for 17 minutes on this subject earlier.

SHRI KHARABELA SWAIN : I do not remember it. Sir, if you say that, then I will sit down. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Shailendra Kumar.

… (*Interruptions*)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Sir, I do not think that he has spoken on this subject. … (*Interruptions*)

सभापति महोदयः यदि आप इस पर 2-3 मिनट बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं लेकिन बोल चुके हैं। परम्परा यह है कि यदि इस विाय में बोले हैं तो दोबारा नहीं बोलेंगे। If you want to speak for two to three minutes, you can speak.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, I will complete it in two minutes. I do not remember that I had spoken on this subject earlier. I beg your apology if I had spoken already.

They all said that they had got their credit. They utilised it for digging the bore well but the bore well did not function. That was the major cause for the failure of their crops. So, even if they had got credit from the banks, still they would have failed in their crop. This was one of the major reasons.

I will tell you the second thing. Take the example of cotton farmers. The rate of cotton has come down from Rs.2700 per quintal to Rs.1800 per quintal. Fifty per cent of their cotton which were taken to the godown of CCI had been rejected. So, I appeal to the hon. Minister to look into this matter.

MR. CHAIRMAN: Kindly conclude now.

SHRI KHARABELA SWAIN : I will speak only one last sentence.

Take the example of weavers also. Actually they are not farmers. Some of the weavers had committed suicide because their designs were copied by the big industries and they produced the sarees at a much cheaper cost. With the result, absolutely there was no work for the weavers. So,

Sir, I will just appeal to the hon. Minister that their traditional designs should be patented so that the big industries would not be able to copy it and produce it at a much cheaper rate and also the traditional weavers will have the work.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वासुदेवन नायर के संकल्प कृा क्षेत्र में कर्मकारों के लिए राहत उपाय के बारे में बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं।

यह बात सत्य है कि आज किसानों के बड़े ज्वलंत विाय पर सदन चर्चा कर रहा है। यह बात सही है कि कृा क्षेत्र में किसान देश के विकास की रीढ़ हैं। आज पूरे देश में करीब 62 प्रतिशत किसान जो किसानी का काम करते हैं, उनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। किसानों ने देश का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने देश को विकास की तरफ ले जाने के लिए बहुत मेहनत की। मुझे याद है कि हम बहुत पहले खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे।

हमें विदेशों से खाद्यान्न मंगाना पड़ता था । जैसे-जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ी और इसकी सबसे बड़ी मार किसी के ऊपर पड़ी तो किसानों के ऊपर पड़ी । आज तक किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है चाहे वह खाद्यान्न का मामला हो, सब्जी का मामला हो या बागवानी का मामला हो । किसान रात दिन मेहनत करके खेती करता है लेकिन उसे उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता । किसान बहुत मजबूरी में ऋण लेता है, उसे उपज का मूल्य नहीं मिल पाता, हमेशा घाटे की खेती होती है । हम देखते हैं कि वह जब भी बैंक से, साहूकारों से, कोआपरेटिव बैंक से या तमाम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से लोन लेता है, जो तमाम दलाल और बिचौलिए होते हैं वे किसानों का शोाण करते हैं । ऋण लेने के बाद उसकी माली हालत इतनी खराब हो जाती है और अपनी उपज के मूल्य से वह ऋण की अदायगी भी कर नहीं पाता और बेरोजगारी और निर्धनता के कुचक्र में फंसकर पिसता रहता है । इस सदन में इस बारे में भी चर्चा हुई है और सभापति महोदय मैं आपका आंध्र प्रदेश की तरफ ध्यान आकर्िात करना चाहूंगा, जहां पर छः-साढ़े छः सौ किसानों ने ऋण अदायगी न कर पाने के कारण आत्महत्या की है । सरकार ऐसे परिवारों को गोद ले और उन्हें पुनर्वासित करने के लिए सही मायने में ऋण प्रदान करे और उनकी माली हालात को सुधारने का काम करे। आज किसान, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो या कोई दैवीय आपदा हो, उन्हें झेलते हुए मजदूरी करता है, मेहनत करता है । इसकी सबसे ज्यादा मार छोटे सीमांत खेतिहर मजदूर, जो रोज के कमाने-खाने वाले हैं, जो खेत में काम करते हैं, उनके ऊपर पड़ती है ।

सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले इसी महीने में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बंदेंलखंड एरिया में ओलावृटि से किसानों की फसलें बरबाद हुईं । हमारे माननीय सदस्यों ने, चाहे जीरो आवर हो, नियम 377 के अधीन मामले हों, प्राकृतिक आपदा की चर्चा हो, उन लोगों की समस्या को उठाने का काम किया है । मैं आज सरकार से मांग करता हूं कि खास तौर से उत्तर प्रदेश की तरफ विशेा ध्यान दें। बाढ़ हो, ओलावृटि हो, अत्यधिक वाा हो या सूखा हो, इनकी चपेट में किसान हमेशा पिसता रहता है। उसे इतनी मार पड़ती है कि वह पुनः खेत की तरफ न आ कर गांव से पलायन कर शहरों में आता है और मेहनत करके अपने परिवार का जीवन चलाता है ।

हम किसान बीमा की बात हमेशा करते हैं । हमने देखा है कि दैवी आपदा में किसानों की खेती नट हो जाती है, उसका मूल्य नहीं मिल पाता है जिससे किसान की माली हालत बड़ी खराब रहती है और वह अपने परिवार का भरण-पोाण नहीं कर पाता है । मुझे याद है अगर दैवी आपदा से किसी किसान की मृत्यु होती है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपए का प्रावधान किया है । मैं सदन के माध्यम से राज्य सरकार को बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा । मुझे वह समय भी याद है जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, जिन किसानों ने दस हजार रुपए ऋण लिए थे, जिनकी हालत बहुत खराब थी, जो अदायगी नहीं कर पा रहे थे, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से एक तरह से लड़ाई करके तमाम दस हजार के ऋणों को माफ करने का काम किया था । आज मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहूंगा कि ऐसे किसान, जो राज्यों में आत्महत्या करने को मजबूर हैं, सरकार उनके ऋणों को माफ करे और उनकी माली हालत को देखते हुए उनका पुनर्वास करके रोजगार को बढ़ावा देने का काम करे ।

<u>17.00 hrs.</u>

किसानों को सब्सिडी, खाद, बीज आदि नहीं मिलता है। बिजली और डीजल नहीं मिल रहा है...<u>(व्यवधान)</u>

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, यदि आप एकाध मिनट में अपना भााण समाप्त कर रहे हों तो अपनी बात पूरी कर लीजिये अन्यथा हमें दूसरा विाय लेना है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति जी, मैं एक मिनट में पूरा कर रहा हूं। किसानों को बिजली और डीजल समय पर नहीं मिल पाने के कारण किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहा है। अभी सदन में एक युवा सासंद ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को भुगतान न किये जाने के मामले को उठाया था। उत्तर प्रदेश की चाहे जो स्थिति रही हो, आज भी हमारे गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो सका है, राज्य सरकार ने फिर भी किया है। हम लोग समय समय पर हमेशा केन्द्र सरकार से यह मांग करते रहे हैं कि उन्हें आर्थिक सहायता दी जाये।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, इस विाय पर ढाई घंटे का समय निर्धारित था जो अब समाप्त हो चुका है। अगर आप और बोलना चाहते हैं तो अगले निर्धारित समय पर तब बोल सकेंगे। आपका भााण जारी रहेगा।

____

MR. CHAIRMAN (DR. LAXMINARAYAN PANDEY): Now, we will take up Item No. 26. Shri Chandrakant Khaire – not present.